



# सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

## उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

खण्ड 79] प्रयागराज, शनिवार, 29 नवम्बर 2025 ई० (अग्रहायण 08, 1947 शक संवत्) [संख्या 48

### विषय-सूची

हर भाग के पन्ने अलग-अलग किये गये हैं, जिससे इनके अलग-अलग खण्ड बन सके।

| विषय                                                                                                                                                                                              | पृष्ठ संख्या | वार्षिक चन्दा | विषय                                                                                                                                                                                                                         | पृष्ठ संख्या | वार्षिक चन्दा |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| सम्पूर्ण गजट का मूल्य                                                                                                                                                                             |              | रु०           |                                                                                                                                                                                                                              |              | रु०           |
| भाग 1— विज्ञप्ति—अवकाश, नियुक्ति, स्थान—नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस                                                                                                     | 605—610      | 3075          | भाग 5—एकाउन्टेन्ट जनरल, उत्तर प्रदेश                                                                                                                                                                                         | ...          | 975           |
| भाग 1—क— नियम, कार्य-विधियां, आज्ञायें, विज्ञप्तियां इत्यादि, जिनको उत्तर प्रदेश के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया                                     | 1291—1314    | 1500          | भाग 6—(क) बिल, जो भारतीय संसद में प्रस्तुत किये गये या प्रस्तुत किये जाने से पहले प्रकाशित किये गये<br>(ख) सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट<br>क—भारतीय संसद के ऐक्ट                                                              | ...          | 975           |
| भाग 1—ख (1) औद्योगिक न्यायाधिकरणों के अभिनिर्णय                                                                                                                                                   |              |               | भाग 7—(क) बिल, जो राज्य की धारा सभाओं में प्रस्तुत किये जाने के पहले प्रकाशित किये गये                                                                                                                                       |              |               |
| भाग 1—ख (2)—श्रम न्यायालयों के अभिनिर्णय                                                                                                                                                          |              |               | (ख) सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट                                                                                                                                                                                              |              |               |
| भाग 2—आज्ञायें, विज्ञप्तियां, नियम और नियम विधान, जिनको केन्द्रीय सरकार और अन्य राज्यों की सरकारों ने जारी किया, हाई कोर्ट की विज्ञप्तियां, भारत सरकार के गजट और दूसरे राज्यों के गजटों का उद्धरण | ...          | 975           | भाग 7—क—उत्तर प्रदेशीय धारा सभाओं के ऐक्ट<br>भाग 7—ख—इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की अनुविहित तथा अन्य निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियां                                                                                             | 133—138      | 975           |
| भाग 3—स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़पत्र, खण्ड ग—निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा खण्ड घ—जिला पंचायत                                                                                                   | ...          | 975           | भाग 8—नगरपालिका परिषद्, नगर पंचायत, सरकारी कागज-पत्र, दवाई हुई रुई की गाठों का विवरण-पत्र, जन्म-मरण के आँकड़े, रोगग्रस्त होने वालों और मरने वालों के आँकड़े, फसल और ऋतु सम्बन्धी रिपोर्ट, बाजार भाव, सूचना, विज्ञापन इत्यादि |              |               |
| भाग 4— निदेशक, शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश                                                                                                                                                         | ...          | 975           | स्टोर्स—पर्चेज विभाग का क्रोड़ पत्र                                                                                                                                                                                          | ...          | 1425          |

**भाग 1**

विज्ञप्ति-अवकाश, नियुक्ति, स्थान-नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस।

**विधान सभा सचिवालय, उत्तर प्रदेश**

[अधिष्ठान अनुभाग]

पदोन्नत

16 जुलाई, 2025 ई0

सं0 181/वि0स0/अधि0/6/96 टीसी-विज्ञप्ति/प्रकीर्ण संख्या-I/28614/2025 File No. अधि01-03/488/2022 दिनांक 30 जून, 2025 द्वारा श्रीमती अनिला राम, प्रधान प्रतिवेदक के दिनांक 30 जून, 2025 को अपराहन से सेवानिवृत्ति हो जाने के फलस्वरूप रिक्त प्रधान प्रतिवेदक तथा उसकी श्रृंखला में प्रमुख प्रतिवेदक, मुख्य प्रतिवेदक एवं उप मुख्य प्रतिवेदक के पद पर निम्नलिखित कार्मिकों को उनके नाम के सम्मुख अंकित पद एवं वेतनमान में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से स्थानापन्न रूप से पदोन्नत किया जाता है—

| क्रम सं0 | नाम एवं पदनाम                                  | पदोन्नति का पद                    | सातवें वेतन आयोग द्वारा पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स लेवल |
|----------|------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 1        | 2                                              | 3                                 | 4                                                      |
|          | सर्वश्री—                                      |                                   |                                                        |
| 1        | श्री ओम शंकर मिश्र,<br>प्रमुख प्रतिवेदक        | प्रधान प्रतिवेदक<br>(निःसंवर्गीय) | 13A                                                    |
| 2        | श्री पवन कुमार सिंह,<br>मुख्य प्रतिवेदक        | प्रमुख प्रतिवेदक                  | 13                                                     |
| 3        | श्री नीरज कुमार पाण्डेय,<br>उप मुख्य प्रतिवेदक | मुख्य प्रतिवेदक                   | 12                                                     |
| 4        | श्री सुदामा कुमार,<br>प्रतिवेदक                | उप मुख्य प्रतिवेदक                | 11                                                     |

सं0 182/वि0स0/अधि0/6/97 टीसी-विज्ञप्ति/प्रकीर्ण संख्या-आई/28615/2025 दिनांक 30 जून, 2025 द्वारा श्री राम कृष्ण अवस्थी, निजी सचिव (श्रेणी-4) के दिनांक 30 जून, 2025 को अपराहन से सेवा निवृत्त हो जाने के फलस्वरूप रिक्त निजी सचिव (श्रेणी-4) के पद एवं उसकी श्रृंखला में निजी सचिव (श्रेणी-3), निजी सचिव (श्रेणी-2), विशेष कार्याधिकारी (निःसंवर्गीय) व निजी सचिव (श्रेणी-1) के पद पर निम्नलिखित कार्मिकों को उनके कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से अस्थायी/स्थानापन्न रूप से पदोन्नत किया जाता है—

| क्रम सं० | नाम एवं पदनाम                                               | पदोन्नति का पद                      | सातवें वेतन आयोग द्वारा पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स लेवल |
|----------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 1        | 2                                                           | 3                                   | 4                                                      |
|          | सर्वश्री—                                                   |                                     |                                                        |
| 1        | श्री जै किशोर,<br>निजी सचिव (श्रेणी-3)                      | निजी सचिव (श्रेणी-4)                | 13                                                     |
| 2        | श्री शिवनारायण सैनी,<br>निजी सचिव (श्रेणी-2)                | निजी सचिव (श्रेणी-3)                | 12                                                     |
| 3        | श्री ज्ञान चन्द्र यादव,<br>विशेष कार्याधिकारी (निःसंवर्गीय) | निजी सचिव (श्रेणी-2)                | 11                                                     |
| 4        | श्री माता प्रसाद रावत,<br>निजी सचिव (श्रेणी-1)              | विशेष कार्याधिकारी<br>(निःसंवर्गीय) | 11                                                     |
| 5        | श्री संजीव कुमार मिश्र,<br>अपर निजी सचिव                    | निजी सचिव (श्रेणी-1)                | 10                                                     |

सं० 183/वि०स०/अधि०/6/97 टीसी-विज्ञप्ति/प्रकीर्ण संख्या-आई/28534/2025 दिनांक 30 जून, 2025 द्वारा श्रीमती अंजू शर्मा, निजी सचिव (श्रेणी-4) के दिनांक 30 जून, 2025 को अपराहन से सेवा निवृत्त हो जाने के फलस्वरूप रिक्त निजी सचिव (श्रेणी-4) के पद एवं उसकी श्रृंखला में निजी सचिव (श्रेणी-3), निजी सचिव (श्रेणी-2), व निजी सचिव (श्रेणी-1) के पद पर निम्नलिखित कार्मिकों को उनके कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से अस्थायी/स्थानापन्न रूप से पदोन्नत किया जाता है—

| क्रम सं० | नाम एवं पदनाम                                      | पदोन्नति का पद       | सातवें वेतन आयोग द्वारा पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स लेवल |
|----------|----------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------|
| 1        | 2                                                  | 3                    | 4                                                      |
|          | सर्वश्री—                                          |                      |                                                        |
| 1        | श्री दिनेश कुमार त्रिपाठी,<br>निजी सचिव (श्रेणी-3) | निजी सचिव (श्रेणी-4) | 13                                                     |
| 2        | श्री राजीव गोयल,<br>निजी सचिव (श्रेणी-2)           | निजी सचिव (श्रेणी-3) | 12                                                     |
| 3        | श्री सुधाकर,<br>निजी सचिव (श्रेणी-1)               | निजी सचिव (श्रेणी-2) | 11                                                     |
| 4        | श्री अमरेन्द्र सिंह,<br>अपर निजी सचिव              | निजी सचिव (श्रेणी-1) | 10                                                     |

आज्ञा से,  
प्रदीप कुमार दुबे,  
प्रमुख सचिव।

**माध्यमिक शिक्षा विभाग**

अनुभाग-2

विज्ञप्ति/नियुक्ति

13 अक्टूबर, 2023, ई०

सं० 1748(121)/पन्द्रह-2-2023- उ०प्र० सम्मिलित राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा चयन परीक्षा-2021 के आधार पर प्रधानाचार्य राजकीय इण्टर कालेज के पद पर रू० 15600-39100, ग्रेड पे-5400 (पुनीक्षित वेतनमान-वेतन मैट्रिक्स लेवल-10 रू० 56,100/-से 1,77,500/-) के वेतनमान पर चयनित अभ्यर्थी को लोक सेवा आयोग, उ०प्र०, प्रयागराज के पत्र सं०-221, 233, 305/01/ई-3/2021-22, दिनांक 14 मार्च, 2023, 12 अप्रैल, 2023 तथा 19 जून, 2023 द्वारा की गई संस्तुति के आधार पर श्री राज्यपाल माहोदय द्वारा अभ्यर्थी को निम्न तालिका में अंकित पद/जनपद में अस्थायी रूप से नियुक्ति/तैनाती किये जाने की एतद्द्वारा सहर्ष स्वीकृति प्रदान की जाती है।

| क्रमांक | अनुक्रमांक | नाम           | पदनाम        | तैनाती स्थल/जनपद का नाम                                             |
|---------|------------|---------------|--------------|---------------------------------------------------------------------|
| 1       | 286027     | रण विजय कुमार | प्रधानाचार्य | पं० दीनदयाल उपाध्याय राजकीय माडल इण्टर कालेज, रामनगर, अम्बेडकर नगर। |

2- उपरोक्तानुसार अभ्यर्थी की नियुक्ति निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगी:-

- चयनित अभ्यर्थी को उ०प्र० शैक्षिक (सामान्य शिक्षा संवर्ग) सेवा नियमावली, 1992 यथा संशोधित) एवं उ०प्र० सरकारी सेवा परिवीक्षा नियमावली-2013 (यथा संशोधित) में दी गयी व्यवस्था के अन्तर्गत 02 वर्ष परिवीक्षा पर रखा जायेगा तथा परिवीक्षा अवधि संतोष जनक रूप से पूर्ण करने पर उक्त नियमावली की व्यवस्थानुसार स्थायीकरण किया जायेगा।
- अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से उक्त वेतनमान में मिलने वाले वेतन के अतिरिक्त शासन द्वारा समय-समय पर स्वीकृत मंहगाई भत्ता एवं अनुमान्य भत्ते भी देय होंगे।
- अभ्यर्थी के समस्त प्रमाण पत्रों यथा वांछित शैक्षिक/प्रशिक्षण/अनुभव योग्यता से सम्बन्धित प्रमाण पत्रों का सत्यापन सम्बन्धित बोर्ड/विश्वविद्यालय से शिक्षा निदेशक, (माध्यमिक) द्वारा कराया जायेगा। अभ्यर्थी आवश्यक तथा महत्वपूर्ण तथ्यों को छिपाकर अथवा फर्जी प्रमाण पत्रों के आधार पर चयनित होने में सफल हो गया है तो ऐसे अभ्यर्थी का अभ्यर्थन विधितः शून्य मानी जायेगी तथा नियुक्ति तत्काल निरस्त कर दी जायेगी। सम्बन्धित अभ्यर्थी इसके लिए स्वयं जिम्मेदार होगा एवं भविष्य में उक्त पद के प्रति उसका कोई दावा/अधिकार मान्य नहीं होगा।
- सम्बन्धित अभ्यर्थी की सेवा शर्तें शासन के प्रचलित नियमावलियों एवं लागू शासनादेशों के अधीन होगी।
- सम्बन्धित अधिकारी को तैनीती के जनपद तक जाने/पहुचने हेतु कोई मार्ग व्यय/यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।
- संबन्धित अभ्यर्थी की ज्येष्ठता बाद में निर्धारित की जायेगी।

3- अभ्यर्थी को सूचित किया जाता है कि नियुक्ति हेतु इच्छुक होने की दशा में शासन के पत्र सं०-04/2021/1/4/2011 का-4-2021 दिनांक 29 अप्रैल, 2021 के साथ संलग्न प्रपत्र पर निर्धारित स्व-घोषणा-पत्र (स्व-सत्यापन घोषणा-प्रपत्र वेबसाइट <http://shasanadesh-up-gov-in>) पर उपलब्ध है) एवं उसके अतिरिक्त अन्य निम्नांकित घोषणाओं को शपथ-पत्र (10 रू० के गैर न्यायिक 'नान-जुडिसियल' स्टॉप पेपर) पर भरकर आदेश की प्राप्ति

के 01 माह के भीतर उक्त घोषणाओं सहित कार्य-भार ग्रहण करने हेतु सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक, माध्यमिक शिक्षा विभाग के समक्ष अपनी योगदान आख्या प्रस्तुत करेंगे। इसके अतिरिक्त स्वघोषणा-पत्र, शपथ-पत्र एवं कार्यभार ग्रहण की एक स्वप्रमाणित छायाप्रति अनिवार्यता-उप सचिव, माध्यमिक शिक्षा अनुभाग-2 उ0प्र0 शासन, लखनऊ के पते पर पंजीकृत डाक से प्रेषित करेंगे। अभ्यर्थी द्वारा भरे गये स्व-सत्यापन/शपथ-पत्र में उल्लिखित घोषणाओं में कोई गलत सूचना दी गयी है तो उनकी नियुक्ति विधितः शून्य मानी जायेगी तथा नियुक्ति तत्काल निरस्त कर दी जायेगी। परिणाम स्वरूप भारतीय दंड संहिता के अन्तर्गत आपराधिक/विधिक कार्यवाही भी की जायेगी:-

(क) अपने बकायेदार न होने की घोषणा।

(ख) एक से अधिक पत्नी/पति न होने की घोषणा।

(ग) दहेज न लिये जाने विषयक घोषणा।

(घ) समस्त चल एवं अचल सम्पत्ति से सम्बन्धित घोषणा, जिसके वे स्वामी हों।

(च) शैक्षणिक अभिलेख, चरित्र सत्यापन एवं पुलिस सत्यापन तथा स्वास्थ्य परीक्षण रिपोर्ट एवं अभ्यर्थन या चयन प्रक्रिया में दी गयी सूचना असत्य होने अथवा इसके सम्बन्ध में कोई प्रतिकूल तथ्य संज्ञान में आने पर नियुक्ति निरस्त कर दी जाये जिस पर मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी, के सम्बन्ध में घोषणा।

(छ) इण्डियन अफिसियल सिक्रेट्स ऐक्ट, 1923 के प्राविधानों को पढ़े जाने के सम्बन्ध में घोषणा।

4. सम्बन्धित अभ्यर्थियों द्वारा राजपत्रित अधिकारी द्वारा अभिप्रमाणित पासपोर्ट साईज का एक नवीनतम फोटोग्राफ तथा 02 राजपत्रित अधिकारियों से सत्यापित चरित्र सम्बन्धी नवीनतम प्रमाण-पत्र।

डॉ० रूपेश कुमार,  
विशेष सचिव।

## सूचना विभाग

अनुभाग-1

विज्ञप्ति/नियुक्ति

10 अक्टूबर, 2024 ई0

सं० 724/उन्नीस-1-2024-सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के निम्नांकित तालिका में उल्लिखित सूचना अधिकारियों/जिला सूचना अधिकारी को सहायक निदेशक (वेतनमान रु० 15,600-39,100, ग्रेड वेतन रु० 5,400/-, पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स लेवल-10) के पद पर पदोन्नति प्रदान किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती है-

| क्र०सं० | अधिकारी का नाम | वर्तमान पद         | पदोन्नति का पद |
|---------|----------------|--------------------|----------------|
| 1       | 2              | 3                  | 4              |
|         | सर्वश्री-      |                    |                |
| 1       | अशोक कुमार     | जिला सूचना अधिकारी | सहायक निदेशक   |
| 2       | बच्चू लाल यादव | सूचना अधिकारी      | सहायक निदेशक   |

| 1 | 2                 | 3                  | 4            |
|---|-------------------|--------------------|--------------|
|   | सर्वश्री—         |                    |              |
| 3 | चन्द्र विजय वर्मा | सूचना अधिकारी      | सहायक निदेशक |
| 4 | राजीव कुमार वर्मा | सूचना अधिकारी      | सहायक निदेशक |
| 5 | चुन्नी लाल        | सूचना अधिकारी      | सहायक निदेशक |
| 6 | संजय कुमार        | सूचना अधिकारी      | सहायक निदेशक |
| 7 | सुरेन्द्र नाथ पाल | जिला सूचना अधिकारी | सहायक निदेशक |

2— उपर्युक्त सूचना अधिकारियों/जिला सूचना अधिकारी को पदोन्नति के पद पर योगदान देने की तिथि से ही सहायक निदेशक के पद पर प्रोन्नत माना जायेगा।

सं0 725/उन्नीस-1-2024—श्री दिनेश कुमार वर्मा, फिल्म अधिकारी, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को फिल्म निर्माण अधिकारी, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के पद (वेतनमान रु0 15,600 से 39,100 ग्रेड वेतन रु0 5,400/— पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स के लेवल-10) पर पदोन्नति प्रदान किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं।

2— श्री दिनेश कुमार वर्मा, फिल्म अधिकारी को प्रोन्नति के पद पर योगदान देने की तिथि से ही फिल्म निर्माण अधिकारी के पद पर प्रोन्नत माना जायेगा।

सं0 726/उन्नीस-1-2024—श्री राम मनोहर त्रिपाठी, सहायक निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को उप निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के पद (वेतनमान रु0 15,600 से 39,100 ग्रेड वेतन रु0 6,600/— पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स के लेवल-11) पर पदोन्नति प्रदान किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं।

2— श्री राम मनोहर त्रिपाठी, सहायक निदेशक को प्रोन्नति के पद पर योगदान देने की तिथि से ही उप निदेशक के पद पर प्रोन्नत माना जायेगा।

नियुक्ति प्राधिकारी की ओर से,  
आज्ञा से,  
संजय प्रसाद,  
प्रमुख सचिव।



# सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

## उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

प्रयागराज, शनिवार, 29 नवम्बर, 2025 ई० (अग्रहायण 08, 1947 शक संवत्)

### भाग 1-क

नियम, कार्य विधियां, आज्ञायें, विज्ञप्तियां इत्यादि, जिनको उत्तर प्रदेश के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया।

### आवास एवं शहरी नियोजन विभाग

अनुभाग-8

अधिसूचना

30 सितम्बर, 2024 ई०

सं० I/755141/2024—चूँकि बाराबंकी महायोजना-2021 में निम्नलिखित संशोधनों के सम्बन्ध में आपत्तियां एवं सुझाव आमंत्रित करने की सूचना दैनिक समाचार-पत्र “दैनिक जागरण” में दिनांक 18 जुलाई, 2024 एवं “अमर उजाला” में दिनांक 17 जुलाई, 2024 के अंक में प्रकाशित की गयी थी।

और चूँकि उपर्युक्त सूचना में विनिर्दिष्ट समय के भीतर जन सामान्य से कोई आपत्ति और सुझाव प्राप्त नहीं हुए, अतः प्रकरण में कोई आपत्ति एवं सुझाव प्राप्त न होने की स्थिति में समिति के गठन का औचित्य नहीं पाया गया है।

अतएवं अब उत्तर प्रदेश (निर्माण कार्य विनियमन) अधिसूचना, 1958 (उत्तर प्रदेश अधिनियम सं०-34 सन् 1958) की धारा-14 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके जारी किये गये उत्तर प्रदेश निर्माण विनियमन निदेश 1960 के पैरा-10ख के उप पैरा (7) के उपबन्धों के अनुसरण में बाराबंकी की महायोजना-2021 में राज्य सरकार द्वारा भू-उपयोग परिवर्तन नियमावली, 2014 में प्राविधानित व्यवस्था के अनुसार नियमानुसार शुल्क की देयता तथा भू-स्वामी द्वारा अवस्थापना सुविधाओं का विकास जल निकासी व सीवरेज आदि की व्यवस्था व भवन निर्माण एवं विकास उपविधि, 2016 यथासंशोधित के प्राविधानानुसार पहुंच मार्ग की उपलब्धता सुनिश्चित किये जाने की शर्त पर निम्नलिखित संशोधन

गजट में प्रकाशित किये जायेंगे। महायोजना में किये गये उक्त संशोधनों की प्रति किसी कार्य दिवस में जिलाधिकारी, बाराबंकी के कार्यालय में देखा जा सकता है।

### अनुसूची

| क्रम सं०  | ग्राम का नाम     | तहसील एवं जनपद का नाम | गाटा संख्या | भू-उपयोग परिवर्तन हेतु क्षेत्रफल | बाराबंकी महायोजना-2021 वर्तमान में भू-उपयोग | परिवर्तित भू-उपयोग                            |
|-----------|------------------|-----------------------|-------------|----------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 1         | 2                | 3                     | 4           | 5                                | 6                                           | 7                                             |
| हेक्टेयर— |                  |                       |             |                                  |                                             |                                               |
| 1         | ग्राम-सरथरा      | नवाबगंज, बाराबंकी     | 12          | 0.441                            | कृषि                                        | “सामुदायिक सुविधायें” (मेडिकल कॉलेज हास्पिटल) |
| 2         | ग्राम-सरथरा      | “                     | 19          | 0.104                            | “                                           | “                                             |
| 3         | ग्राम-सरथरा      | “                     | 21          | 0.1516                           | “                                           | “                                             |
| 4         | ग्राम-दानियालपुर | “                     | 744         | 0.061                            | “                                           | “                                             |
| 5         | ग्राम-दानियालपुर | “                     | 745         | 0.073                            | “                                           | “                                             |
| 6         | ग्राम-दानियालपुर | “                     | 747         | 0.346                            | “                                           | “                                             |
| 7         | ग्राम-दानियालपुर | “                     | 759(अ)      | 0.689                            | “                                           | “                                             |
| 8         | ग्राम-दानियालपुर | “                     | 759(ब)      | 0.027                            | “                                           | “                                             |
| 9         | ग्राम-दानियालपुर | “                     | 760         | 0.368                            | “                                           | “                                             |
| 10        | ग्राम-दानियालपुर | “                     | 761         | 0.371                            | “                                           | “                                             |
| 11        | ग्राम-दानियालपुर | “                     | 762         | 0.234                            | “                                           | “                                             |
| योग.      |                  |                       |             | 2.8656                           |                                             |                                               |

सत्येन्द्र कुमार

जिलाधिकारी/नियंत्रक प्राधिकारी,

विनियमित क्षेत्र, जनपद-बाराबंकी।

04 मार्च, 2025 ई0

सं० I/894750/2025—चूंकि राज्य सरकार प्रयागराज विकास क्षेत्रान्तर्गत प्रयागराज महायोजना-2021 में संशोधन करने के संबंध में आपत्तियां एवं सुझाव प्राप्त करने की सूचना स्थानीय समाचार-पत्र “हिन्दुस्तान” एवं “अमर उजाला” के संस्करण में क्रमशः दिनांक 10 जनवरी, 2025 को प्रकाशित करायी गयी थी, उपर्युक्त सूचना में विनिर्दिष्ट समय के अन्दर जन सामान्य से कोई आपत्ति एवं सुझाव प्राधिकरण में प्रस्तुत नहीं किये गये।

अतएवं अब, उत्तर प्रदेश राष्ट्रपति अधिनियम (परिष्कारों सहित पुनः अधिनियमित)-1974 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-30 सन् 1974) द्वारा परिष्कारों सहित यथा पुनः अधिनियमित उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम, 1973 (राष्ट्रपति अधिनियम संख्या-11 सन् 1973) की धारा 13 की उपधारा (2) के उपबन्धों के अधीन शक्ति का प्रयोग करके श्री राज्यपाल, प्रयागराज विकास प्राधिकरण क्षेत्रान्तर्गत प्रयागराज महायोजना-2021 में अनुसूची में उल्लिखित खसरा संख्याओं में सम्मुख अंकित भू-प्रयोग हेतु निम्नानुसार संशोधन करते हैं—

### अनुसूची

| क्रम सं०  | ग्राम का नाम | तहसील             | गाटा संख्या | कुल क्षेत्रफल | प्रयागराज महायोजना-2021 के अनुसार भू-उपयोग | परिवर्तित भू-उपयोग                                                  |
|-----------|--------------|-------------------|-------------|---------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 1         | 2            | 3                 | 4           | 5             | 6                                          | 7                                                                   |
| हेक्टेयर— |              |                   |             |               |                                            |                                                                     |
| 1         | देवघाट       | सदर,<br>प्रयागराज | 348         | 0.148         | सब्जी पट्टी                                | सार्वजनिक एवं<br>अर्द्धसार्वजनिक सुविधाएं<br>अन्तर्गत विश्वविद्यालय |
| 2         |              |                   | 349/1       | 0.189         | „                                          | „                                                                   |
| 3         |              |                   | 349/2       | 0.132         | „                                          | „                                                                   |
| 4         |              |                   | 350         | 0.251         | „                                          | „                                                                   |
| 5         |              |                   | 351         | 0.148         | „                                          | „                                                                   |
| 6         |              |                   | 353         | 0.091         | „                                          | „                                                                   |
| 7         |              |                   | 358         | 0.016         | „                                          | „                                                                   |
| 8         |              |                   | 358MI       | 0.171         | „                                          | „                                                                   |
| 9         |              |                   | 360A        | 0.194         | „                                          | „                                                                   |
| 10        |              |                   | 360B        | 0.023         | „                                          | „                                                                   |
| 11        |              |                   | 361         | 0.097         | „                                          | „                                                                   |
| 12        |              |                   | 385         | 0.126         | „                                          | „                                                                   |
| 13        |              |                   | 386         | 0.194         | „                                          | „                                                                   |
| 14        |              |                   | 387         | 0.194         | „                                          | „                                                                   |
| 15        |              |                   | 388         | 0.103         | „                                          | „                                                                   |
| 16        |              |                   | 389         | 0.194         | „                                          | „                                                                   |
| 17        |              |                   | 438/2       | 0.057         | „                                          | „                                                                   |
| 18        |              |                   | 439/2       | 0.057         | „                                          | „                                                                   |

| 1         | 2      | 3         | 4       | 5      | 6           | 7                        |
|-----------|--------|-----------|---------|--------|-------------|--------------------------|
| हेक्टेयर— |        |           |         |        |             |                          |
| 19        | देवघाट | सदर,      | 440     | 0.342  | सब्जी पट्टी | सार्वजनिक एवं            |
| 20        |        | प्रयागराज | 4418    | 0.285  | „           | अर्द्धसार्वजनिक सुविधाएं |
| 21        |        |           | 442     | 0.251  | „           | अन्तर्गत विश्वविद्यालय   |
| 22        |        |           | 443     | 0.183  | „           | „                        |
| 23        |        |           | 444     | 0.171  | „           | „                        |
| 24        |        |           | 445MI   | 0.0724 | „           | „                        |
| 25        |        |           | 446     | 0.103  | „           | „                        |
| 26        |        |           | 448MI   | 0.123  | „           | „                        |
| 27        |        |           | 450     | 0.297  | „           | „                        |
| 28        |        |           | 451     | 0.331  | „           | „                        |
| 29        |        |           | 453     | 0.196  | „           | „                        |
| 30        |        |           | 454     | 0.342  | „           | „                        |
| 31        |        |           | 455     | 0.103  | „           | „                        |
| 32        |        |           | 470     | 0.103  | „           | „                        |
| 33        |        |           | 471MI   | 0.0118 | „           | „                        |
| 34        |        |           | 473     | 0.16   | „           | „                        |
| 35        |        |           | 475     | 0.034  | „           | „                        |
| 36        |        |           | 289     | 0.285  | „           | „                        |
| 37        |        |           | 382     | 0.148  | „           | „                        |
| 38        |        |           | 383     | 0.137  | „           | „                        |
| 39        |        |           | 384A MI | 0.2087 | „           | „                        |
| 40        |        |           | 441A    | 0.0057 | „           | „                        |
| 41        |        |           | 388A    | 0.171  | „           | „                        |
| 42        |        |           | 445/1MI | 0.054  | „           | „                        |
| 43        |        |           | 447MI   | 0.593  | „           | „                        |
| 44        |        |           | 457MI   | 0.0006 | „           | „                        |
| 45        |        |           | 471MI   | 0.5132 | „           | „                        |

| 1     | 2      | 3         | 4     | 5         | 6           | 7                        |
|-------|--------|-----------|-------|-----------|-------------|--------------------------|
|       |        |           |       | हेक्टेयर— |             |                          |
| 46    | देवघाट | सदर,      | 472MI | 0.0456    | सब्जी पट्टी | सार्वजनिक एवं            |
| 47    |        | प्रयागराज | 473   | 0.16      | „           | अर्द्धसार्वजनिक सुविधाएं |
| 48    |        |           | 456   | 0.2566    | „           | अन्तर्गत विश्वविद्यालय   |
| 49    |        |           | 474MI | 0.148     | „           | „                        |
| योग . |        |           |       | 8.2196    |             |                          |

पी0 गुरुप्रसाद,  
प्रमुख सचिव।

### कार्यालय, संयुक्त पुलिस आयुक्त (कानून एवं व्यवस्था), लखनऊ

निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा-163 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता

14 सितम्बर, 2024 ई0

सं0 वाचक/संयुक्त पुलिस आयुक्त-09/2024/3603—दिनांक 16 सितम्बर, 2024 को बारावफात/ईद-ए-मिलाद, दिनांक 17 सितम्बर, 2024 को विश्वकर्मा पूजा/अनन्त चतुर्दशी, दिनांक 02 अक्टूबर, 2024 को महात्मा गांधी जयन्ती, दिनांक 03 अक्टूबर, 2024 को शारदीय नवरात्रि प्रारम्भ, दिनांक 11 अक्टूबर, 2024 को महाअष्टमी, दिनांक 12 अक्टूबर, 2024 को महानवमी/दशहरा/विजयदशमी, दिनांक 17 अक्टूबर, 2024 को महर्षि वाल्मीकि जयन्ती, दिनांक 31 अक्टूबर, 2024 को दीपावली/सरदार बल्लभ भाई जयन्ती एवं आचार्य नरेन्द्र देव जयन्ती, दिनांक 02 नवम्बर, 2024 को गोवर्धन पूजा व दिनांक 03 नवम्बर, 2024 को भाई दूज/चित्रगुप्त जयन्ती व दिनांक 07 नवम्बर, 2024 को छठ पूजा आदि पर्व आयोजित होंगे, साथ ही विभिन्न प्रवेश परीक्षाएं आयोजित की जायेंगी। वर्तमान में विभिन्न राजनैतिक पार्टी कार्यकर्ताओं/भारतीय किसान संगठनों एवं विभिन्न प्रदर्शनकारियों द्वारा धरना प्रदर्शन आदि से शान्ति व्यवस्था भंग हो सकती है। मैं, अमित वर्मा, संयुक्त पुलिस आयुक्त, कानून एवं व्यवस्था, लखनऊ यह उचित समझता हूँ कि धारा-163 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए नवीन निषेधाज्ञा जारी किया जाना आवश्यक है।

अतः अपने अधिकार क्षेत्र में कानून व्यवस्था को बनाये रखने, शान्ति व्यवस्था को कायम रखने, सार्वजनिक एवं निजी लोक सम्पत्ति के सुरक्षार्थ निम्न प्रतिबन्धात्मक आदेश पारित करता हूँ—

1— विधानभवन की परिधि एवं निम्न लिखित स्थानों व मार्गों पर ट्रैक्टर, ट्रैक्टर-ट्राली, घोड़ागाड़ी, बैलगाड़ी, भैंसागाड़ी, ताँगागाड़ी तथा आग्नेयाश्र, ज्वलनशील पदार्थ, सिलेण्डर, घातक पदार्थ, हथियार आदि लेकर आवागमन पूर्ण रूप से प्रतिबन्धित रहेगा—

लालबत्ती चौराहा से बन्दरियाबाग चौराहे तक।

बन्दरिया बाग चौराहे से गोल्फ क्लब चौराहा और पार्क रोड होते हुए सिविल अस्पताल चौराहे तक।

सिविल अस्पताल चौराहा से अटल चौक चौराहा, मेफेयर तिराहा, नावेल्टी चौराहे तक।

नावेल्टी चौराहे से आई0टी0एम0एस0 चौराहा होते हुए बर्लिंग्टन चौराहा तक।

बर्लिंग्टन चौराहे से सदर कैण्ट पुल होते हुए उदयगंज तिराहा तक।

उदयगंज तिराहा से अब्दुल हमीद चौराहा होते हुए लाल बत्ती चौराहा तक।

उक्त परिधि में किसी भी प्रकार के धरना प्रदर्शन पूर्ण रूप से प्रतिबन्धित किये जाते हैं। इस प्रकार के वाहनों एवं वस्तुओं के प्रवेश अथवा इस परिधि में धरना प्रदर्शन किये जाने पर धारा-163 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का उल्लंघन मानते हुए कार्यवाही की जायेगी।

2— राजभवन, मा0 मुख्यमंत्री आवास, विधान भवन व सरकारी दफ्तरों के ऊपर व आस-पास नो फ्लाईंग जोन की परिधि में ड्रोन से शूटिंग करना पूर्णतः प्रतिबन्धित होगा। अन्य स्थानों पर भी पुलिस आयुक्त/संयुक्त पुलिस आयुक्त की अनुमति के बिना किसी प्रकार के ड्रोन कैमरे से शूटिंग/फोटोग्राफी नहीं की जायेगी।

3— लखनऊ में किसी भी प्रकार का धरना प्रदर्शन शासन द्वारा निर्धारित ईको गार्डन स्थल को छोड़कर अन्य किसी भी स्थान पर बिना अनुमति आयोजित करने पर नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

4— कोई भी व्यक्ति पुलिस आयुक्त लखनऊ/संयुक्त पुलिस आयुक्त/पुलिस उपायुक्तों की पूर्व अनुमति प्राप्त किये बिना, न तो पांच या इससे अधिक व्यक्तियों का किसी प्रकार का कोई जुलूस निकालेगा न ही सार्वजनिक स्थान पर पांच या इससे अधिक व्यक्तियों का समूह बनायेगा और न ही ऐसे किसी समूह में सम्मिलित होगा। शासन द्वारा अनुमन्य कार्यक्रमों में यथा आवश्यकता इस नियम को शिथिल किया जा सकता है।

5— लखनऊ क्षेत्र की सीमा के अन्दर कोई भी मजलिस तथा मैचों के आयोजन व मॉल/होटल/रेस्त्रां परिसर में आयोजित किये जाने वाले संगीत आदि के ऐसे कार्यक्रम जिनसे कानून व्यवस्था प्रभावित होने की सम्भावना हो पुलिस आयुक्त/संयुक्त पुलिस आयुक्त/पुलिस उपायुक्तों की पूर्व अनुमति के बिना आयोजित नहीं किये जायेंगे।

6— किसी धार्मिक स्थल/सार्वजनिक स्थल/जुलूसों/अन्य आयोजनों पर लाउड स्पीकर की ध्वनि की तीव्रता के सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद एवं इस निमित्त प्राविधानित विधिक प्राविधानों के क्रम में औद्योगिक क्षेत्र में दिन/रात्रि के समय 75/70 डेसीबल, वाणिज्यिक क्षेत्र में 65/55 डेसीबल, रिहायशी क्षेत्र में 55/45 डेसीबल तथा शान्त क्षेत्र में 50/40 डेसीबल अधिकतम ध्वनि तीव्रता निर्धारित की गयी है। इसका पूर्णतः अनुपालन आवश्यक होगा। रात्रि 22.00 बजे से प्रातः 06.00 बजे तक ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग नहीं किया जायेगा। मन्दिर/मस्जिद/गुरुद्वारा/चर्च आदि धार्मिक स्थलों पर लगे लाउडस्पीकर एवं ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग पूर्णतः धार्मिक स्थल के परिसर तक ही सीमित रहेगा। सार्वजनिक स्थानों/मार्गों पर नमाज/पूजा अर्चना/जुलूस या अन्य प्रकार के धार्मिक आयोजन व ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग पूर्णतः प्रतिबन्धित होगा। अपरिहार्य स्थिति में अनुमति पुलिस आयुक्त/संयुक्त पुलिस आयुक्त (अधोहस्ताक्षरी) या पुलिस उपायुक्त जोन से लेनी होगी।

7— कोई भी व्यक्ति लखनऊ की सीमा के अन्दर लाठी, डण्डा (दृष्टिहीन/दिव्यांग व्यक्तियों तथा सिख धर्म द्वारा रखे जाने वाले कृपाण को छोड़कर), तेज धार वाले चाकू तथा नुकीले शस्त्र जैसे— तलवार, बरछी, गुप्तियां, कटार, फरसा, संगीन, त्रिशूल अथवा अग्नेयास्त्र, ज्वलनशील पदार्थ, घातक हथियार आदि लेकर नहीं चलेगा और न ही किसी सार्वजनिक स्थान पर प्रदर्शित करेगा। ड्यूटीरत पुलिस कर्मी/अर्द्ध सैनिक बल एवं अन्य अनुमन्य व्यक्तियों पर ये प्रतिबन्ध ड्यूटी निर्वहन में लागू नहीं होंगे।

8— कोई भी व्यक्ति एक-दूसरे के धर्म-ग्रन्थों का अपमान नहीं करेगा। सार्वजनिक स्थानों, सार्वजनिक दीवारों आदि पर किसी प्रकार के धार्मिक झण्डे, बैनर, पोस्टर आदि नहीं लगायेगा, न ही किसी को इस कार्य में सहयोग प्रदान करेगा। दूसरे समुदाय की भावनाओं के विपरीत ऐसा कोई कार्यक्रम व उत्तेजनात्मक भाषण नहीं देगा तथा मौखिक या लिखित, इलेक्ट्रानिक या सोशल मीडिया के माध्यम से गलत सूचना व ऐसी अफवाहें नहीं फैलायेगा जिससे किसी समुदाय की धार्मिक भावना को ठेस पहुँचे अथवा समाज में विद्वेष की भावना जागृत हो एवं शांति भंग होने की आशंका हो। यह कृत्य दण्डनीय अपराध है।

9— कोई व्यक्ति किसी खुले स्थान पर अथवा मकानों की छतों पर ईंट, पत्थर, सोडावाटर की बोतल, ज्वलनशील पदार्थ अथवा कोई विस्फोटक सामग्री जमा नहीं करेगा और न रखेगा, जिसका प्रयोग आतंक उत्पन्न करने अथवा किसी हिंसात्मक गतिविधियों में किया जा सके।

10- लखनऊ क्षेत्र की सीमा के अन्दर कोई भी व्यक्ति ऐसा कोई अनुचित मुद्रण/प्रकाशन/वितरण जिससे साम्प्रदायिक तनाव अथवा समुदायों के बीच वैमनस्य उत्पन्न हो या अश्लीलता प्रचारित/प्रसारित होती हो, नहीं करेगा।

11- सोशल मीडिया पर ग्रुप एडमिन का उत्तरदायित्व होगा कि ग्रुप से जुड़ा कोई भी व्यक्ति भड़काऊ अथवा अफवाह फैलाने सम्बन्धित कोई पोस्ट, पोस्ट नहीं करेगा। यदि कोई व्यक्ति ऐसा पोस्ट करता है तो ग्रुप एडमिन उसे तत्काल डिलीट कराते हुए सम्बन्धित व्यक्ति को ग्रुप से बाहर करेगा और स्थानीय पुलिस को सूचित भी करेगा।

12- लखनऊ की सीमा के अन्दर कोई भी दुकानदार न तो चाइनीज मांझे का विक्रय करेगा और न ही कोई व्यक्ति क्रय करेगा। कोई भी व्यक्ति ऐसे चाइनीज मांझे/तार से पंतंग बाँध कर नहीं उड़ायेगा जिससे आम नागरिक को शारीरिक क्षति कारित हो या सम्पत्ति का नुकसान हो।

13- लखनऊ की सीमा के अन्दर कोई भी व्यक्ति किसी भी सार्वजनिक स्थान पर पुतला नहीं जलायेगा और न ही ऐसा आचरण प्रस्तुत करेगा जिससे किसी प्रकार की शान्ति व्यवस्था प्रभावित होने की सम्भावना हो।

14- लखनऊ में सभी निजी कम्पनियाँ/सेवा प्रदाता जो वितरण कर्मचारी रखते हैं, जैसे-जोमैटो, स्विगी, ब्लिंकिट व अन्य ऑनलाइन कम्पनी जिनके द्वारा घरों पर भोजन/दवा व अन्य वस्तुओं की डिलीवरी दी जाती है, के नियोक्ता की जिम्मेदारी होगी कि वितरण कर्मचारियों की नियुक्ति से पूर्व उनका पुलिस सत्यापन अनिवार्य रूप से करायेंगे। कोई भी मकान मालिक जिनका मकान लखनऊ कमिशनरेट में स्थित है वह किरायेदार का पुलिस सत्यापन कराये बिना मकान किराये पर नहीं देंगे। निर्देशों का उल्लंघन करने पर यदि वितरण कर्मचारी/किरायेदार द्वारा कोई अपराध कारित किया जाता है या कोई गम्भीर घटना कारित की जाती है और वितरण कर्मचारी/किरायेदार का नाम पता तत्दीक न होने के कारण उसका पता नहीं चल पाता है तो सेवा प्रदाता/मकान मालिक के विरुद्ध भी विधिपूर्ण कार्यवाही की जायेगी।

15- लखनऊ क्षेत्र की सीमा के अन्दर किसी भी साइबर कैफे के स्वामी/संचालक द्वारा किसी भी अनजान व्यक्ति को, जिसका परिचय किसी विश्वसनीय प्रमाण-पत्र जैसे-परिचय-पत्र, मतदाता पहचान-पत्र, राशन कार्ड, ड्राइविंग लाईसेन्स, पासपोर्ट, फोटो, क्रेडिट कार्ड, पैन-कार्ड व ऐसे ही अन्य साक्ष्य से प्रमाणित न हो, साइबर कैफे का उपयोग नहीं करने दिया जायेगा। समस्त आगन्तुकों/प्रयोगकर्ताओं का रजिस्टर बनाकर रखे बिना संचालित नहीं किया जायेगा, सभी आगन्तुकों/प्रयोगकर्ताओं को उनके हस्तलेख में नाम पता, दूरभाष नम्बर तथा परिचय का प्रमाण-पत्र अंकित कराये बिना साइबर कैफे का प्रयोग नहीं करने दिया जायेगा। साइबर कैफे में बिना एक वेब कैमरा लगाये जिसमें प्रत्येक आगन्तुक/प्रयोगकर्ता की फोटो खींची जा सके तथा उसका अभिलेख सुरक्षित रखा जा सके के बिना संचालित नहीं किया जायेगा।

16- परीक्षा परिसर में मोबाइल फोन, इलेक्ट्रानिक वस्तुएं/अनुचित साधन पूर्णतः प्रतिबन्धित हैं। प्रत्येक परीक्षा केन्द्र पर परीक्षा अवधि में 200 गज की परिधि में अनावश्यक प्रवेश निषेध रहेगा।

17- कोविड-19 के दृष्टिगत उत्तर प्रदेश, शासन व भारत सरकार द्वारा निर्गत गाइडलाइन का पूर्णतया पालन कराया जाये।

उपरोक्त शर्तों/प्रतिबन्धों के अनुपालन की पूर्ण जिम्मेदारी सम्बन्धित की स्वयं होगी

चूंकि उक्त आदेश को तत्काल पारित किये जाने की आवश्यकता है इसलिये समय अभाव के कारण यह आदेश एक पक्षीय रूप से पारित किया जा रहा है। फिर भी यदि कोई भी व्यक्ति, संस्था या पक्ष इस आदेश में कोई छूट या शिथिलता चाहे तो उसे पुलिस आयुक्त, कमिशनरेट लखनऊ या संयुक्त पुलिस आयुक्त (अधोहस्ताक्षरी) या समस्त पुलिस उपायुक्त लखनऊ के सम्मुख विधिवत आवेदन करने का अधिकार होगा, जिस पर सम्यक सुनवाई एवं विचारोपरान्त समुचित आदेश पारित किये जायेंगे।

यह आदेश दिनांक 15 सितम्बर, 2024 से प्रभावी होगा और यदि बीच में वापस न लिया गया तो दिनांक 13 नवम्बर, 2024 तक लागू रहेगा। इस आदेश अथवा इस आदेश के किसी अंश का उल्लंघन करना भारतीय न्याय संहिता की धारा-223 व अन्य सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है।

इस आदेश का प्रचार लखनऊ नगर के सभी संयुक्त पुलिस आयुक्त, पुलिस उप आयुक्त, अपर पुलिस उप आयुक्त व सहायक पुलिस आयुक्त के न्यायालयों के नोटिस बोर्ड, लखनऊ नगर क्षेत्र के सभी थानों के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करके, स्थानीय समाचार-पत्रों में प्रकाशित कराकर एवं पुलिस कन्ट्रोल रूम की गाड़ियों द्वारा स्पीकर से प्रचार कराकर किया जायेगा।

आज दिनांक सितम्बर 14, 2024 को मेरे हस्ताक्षर तथा न्यायालय की मुद्रा से मुद्रांकित कर जारी किया गया।

अमित वर्मा,  
संयुक्त पुलिस आयुक्त,  
कानून एवं व्यवस्था, लखनऊ।

## जनता के प्रयोजनार्थ भूमि नियोजन की विज्ञप्तियां उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग

### प्रारूप-19

नियम-27 का उपनियम (1),  
समुचित सरकार/कलेक्टर द्वारा घोषणा  
(अधिनियम की धारा-19 की उपधारा (1) के अन्तर्गत)

### अधिसूचना

19 नवम्बर, 2025 ई०

सं० 886/आठ-वि०भू०अ०अ०/मुरादाबाद/2025-उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग द्वारा अधि० अभि० मध्य गंगा नहर निर्माण खण्ड-10, बुलन्दशहर (अपेक्षित निकाय का नाम) के द्वारा अपेक्षित सार्वजनिक प्रयोजन यथा मध्य गंगा नहर परियोजना (द्वितीय चरण) परियोजना हेतु जनपद-सम्भल, तहसील-सम्भल, परगना-सम्भल, ग्राम-नेकपुर मुख्तयारपुर में कुल 0.9404 हे० भूमि के सम्बन्ध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-11 की उपधारा-(1) के अन्तर्गत जो प्रारम्भिक अधिसूचना संख्या 258 दिनांक 23.06.2025 को निर्गत की गयी थी तथा अन्तिम रूप से प्रकाशित दिनांक 19.07.2025 को प्रकाशित की गयी थी। डिप्टी कलेक्टर/असिस्टेंट कलेक्टर को परियोजना प्रभावित परिवारों के पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के उद्देश्य से प्रशासक नियुक्त किया गया था।

अधिनियम की धारा-15 की उपधारा (2) के प्राविधानों के अनुपालन में कलेक्टर द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के विचारोपरान्त धारा-19(1) के अन्तर्गत राज्यपाल घोषणा करने का निर्देश देते हैं कि उन्हें यह समाधान हो गया है कि अनुसूची "क" में वर्णित भूमि का क्षेत्रफल सार्वजनिक प्रयोजन हेतु आवश्यक है तथा अनुसूची "ख" में उल्लिखित जनपद-सम्भल, तहसील-सम्भल, परगना-सम्भल, ग्राम-नेकपुर मुख्तयारपुर में कुल 0.9404 हे० भूमि को विस्थापित परिवारों के पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन हेतु पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन एवं पुनर्व्यवस्थापन क्षेत्र के रूप में चिह्नित किया गया है।

राज्यपाल अग्रेत्तर निर्देश देते हैं कि अधिनियम की धारा-19 की उपधारा (2) के अधीन इस प्रभाव की घोषणा के प्रकाशन के साथ पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन योजना के सारांश के प्रकाशन हेतु कलेक्टर को निर्देशित करते हैं। पुनर्व्यवस्थापन योजना का सारांश इसके साथ संलग्न है-

**अनुसूची-क**  
**(प्रस्तावित अर्जन के अन्तर्गत भूमि)**

| जनपद  | तहसील | परगना | ग्राम       | वर्तमान भू-खण्ड सं० | चकबन्दी प्रक्रिया के उपरान्त प्रस्तावित चक संख्या | अर्जित किये जाने वाला क्षेत्रफल |
|-------|-------|-------|-------------|---------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------|
| 1     | 2     | 3     | 4           | 5                   | 6                                                 | 7                               |
|       |       |       |             |                     |                                                   | हेक्टेयर                        |
| सम्भल | सम्भल | सम्भल | नेकपुर      | 1/3 व 1/4           | 308                                               | 0.0402                          |
|       |       |       | मुख्तयारपुर | 9/1 व 15            | 366                                               | 0.0598                          |
|       |       |       |             | 15                  | 368                                               | 0.0358                          |
|       |       |       |             | 203/1               | 82                                                | 0.1150                          |
|       |       |       |             | 210/2               | 324                                               | 0.0381                          |
|       |       |       |             |                     | 305                                               | 0.0100                          |
|       |       |       |             | 45                  | 292                                               | 0.0525                          |
|       |       |       |             |                     | 325                                               | 0.0400                          |
|       |       |       |             |                     | 300                                               | 0.0420                          |
|       |       |       |             |                     | 277                                               | 0.0100                          |
|       |       |       |             |                     | 364                                               | 0.0250                          |
|       |       |       |             |                     | 316                                               | 0.0250                          |
|       |       |       |             | 84                  | 346                                               | 0.0225                          |
|       |       |       |             |                     | 347                                               | 0.0060                          |
|       |       |       |             |                     | 326                                               | 0.0220                          |
|       |       |       |             |                     | 298                                               | 0.0160                          |
|       |       |       |             | 174                 | 53                                                | 0.0580                          |
|       |       |       |             | 175 व 174           | 102                                               | 0.0430                          |
|       |       |       |             | 182 व 190           | 102                                               | 0.0975                          |
|       |       |       |             | 189                 | 108 व 245                                         | 0.1820                          |
|       |       |       |             | <b>योग . .</b>      |                                                   | <b>0.9404</b>                   |

## अनुसूची-ख

(विस्थापित परिवारों के लिए व्यवस्थापन क्षेत्र के रूप में चिह्नित भूमि)

| जनपद | तहसील | परगना | ग्राम | भूखण्ड सं० | पुनर्वासन हेतु चिह्नित क्षेत्रफल<br>(हेक्टेयर में) |
|------|-------|-------|-------|------------|----------------------------------------------------|
| 1    | 2     | 3     | 4     | 5          | 6                                                  |

— विस्थापित परिवारों की संख्या “शून्य” —

टिप्पणी:— उक्त भूमि का स्थल नक्शा ..... के कलेक्टर के कार्यालय में देखा जा सकता है।

## कलेक्टर द्वारा घोषणा की अधिसूचना

अधिनियम की धारा-19 की उपधारा (2) के अन्तर्गत,

उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग द्वारा अधि०अभि० मध्य गंगा नहर निर्माण खण्ड-10, बुलन्दशहर (अपेक्षित निकाय का नाम) के माध्यम से सार्वजनिक प्रयोजन की मध्य गंगा नहर परियोजना (द्वितीय चरण) परियोजना हेतु जनपद-सम्भल, तहसील-सम्भल, परगना-सम्भल, ग्राम-नेकपुर मुख्तयारपुर में स्थित 0.9404 हे० भूमि के लिए प्रकाशित अधिसूचना संख्या ..... दिनांक.....के क्रम में मेरे द्वारा घोषणा का प्रकाशन कर दिया गया है तथा सरकारी अधिसूचना के साथ पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन योजना का सारांश संलग्न कर दिया गया है। पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन योजना का सारांश निम्नवत् है—

उक्त भूमि का स्थल नक्शा कलेक्टर के कार्यालय में भूमि अर्जन के उद्देश्य से देखा जा सकता है।

विनय पाण्डेय  
विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी,  
मुरादाबाद / सम्भल।

## IRRIGATION DEPARTMENT

## FORM-19

[Sub-rule (1) of rule 27]

Declaration by appropriate Government/Collector

[Under Sub-Section (1) of Section-19 of the Act]

## NOTIFICATION

November 19, 2025

**No. 886/VIII-S.L.A.O./Moradabad/2025**--Whereas Preliminary notification no.-258 date 23-06-2025 was issued under Sub-section (1) of section II of the right to fair Compensation and

Transparency in Rehabilitation and Resettlement Act, 2013, in respect of 0.9404 hectares of land in Village-Nekpur- Mukhtiyarpur, Pargana-Sambhal, Tehsil-Sambhal, District-Sambhal is required for public purpose, namely, project Madhya Ganga Canal project (Stage-II) though Canal Construction (name of requiring body and laity published on dated 19-07-2025. The Deputy Collector..... was appointed is Administrator for the purpose of rehabilitation and resentment of this project affected families.

After considering the report of the Collector submitted in pursuance to provision under sub-section (2) of the section 15 of the Act, the Governor is pleased to declare under section 19(1) of the Act that he is satisfied that the area of the land mentioned in the given schedule “A” is needed for public purpose and the land to the extent of 0-9404 hectares in Village-Nekpur Mukhtiyarpur, Pargana-Sambhal, Tehsil-Sambhal, District Sambhal as given in schedule “B” has been identified as the Rehabilitation and Resettlement area for the purpose of Rehabilitation and Resettlement of the displaced families.

The Government is further pleased under sub-section (2) of section 19 of the Act, to direct the Collector of ..... to publish a summary of the Rehabilitation and Resettlement scheme with publication of the declaration to this effect, The summary of the Rehabilitation and Resettlement scheme is attached here with-

### SCHEDULE-A

#### (Land under Proposed Acquisition)

| District        | Tehsil  | Pargana | Village      | Present<br>Plot No. | Chakbandi<br>Prakriya ke<br>uprant prastavit<br>Chak no. | Area   |
|-----------------|---------|---------|--------------|---------------------|----------------------------------------------------------|--------|
| 1               | 2       | 3       | 4            | 5                   | 6                                                        | 7      |
| <i>Hectares</i> |         |         |              |                     |                                                          |        |
| MINOR SEMLI     |         |         |              |                     |                                                          |        |
| Sambhal         | Sambhal | Sambhal | Nekpur       | 1/3 व 1/4           | 308                                                      | 0.0402 |
|                 |         |         | Mukhtiyarpur | 9/1 व 15            | 366                                                      | 0.0598 |
|                 |         |         |              | 15                  | 368                                                      | 0.0358 |
|                 |         |         |              | 203/1               | 82                                                       | 0.1150 |
|                 |         |         |              | 210/2               | 324                                                      | 0.0381 |

| 1                    | 2       | 3       | 4            | 5         | 6         | 7               |
|----------------------|---------|---------|--------------|-----------|-----------|-----------------|
|                      |         |         |              |           |           | <i>Hectares</i> |
| MINOR SARKADA KAMAAL |         |         |              |           |           |                 |
| Sambhal              | Sambhal | Sambhal | Nekpur       | 45        | 305       | 0.0100          |
|                      |         |         | Mukhtiyarpur |           | 292       | 0.0525          |
|                      |         |         |              |           | 325       | 0.0400          |
|                      |         |         |              | 84        | 300       | 0.0420          |
|                      |         |         |              |           | 277       | 0.0100          |
|                      |         |         |              |           | 364       | 0.0250          |
|                      |         |         |              |           | 316       | 0.0250          |
|                      |         |         |              |           | 346       | 0.0225          |
|                      |         |         |              |           | 347       | 0.0060          |
|                      |         |         |              |           | 326       | 0.0220          |
|                      |         |         |              |           | 298       | 0.0160          |
|                      |         |         |              | 174       | 53        | 0.0580          |
|                      |         |         |              | 175 व 174 | 102       | 0.0430          |
|                      |         |         |              | 182 व 190 | 102       | 0.0975          |
|                      |         |         |              | 189       | 108 व 245 | 0.1820          |
| <b>Total . .</b>     |         |         |              |           |           | <b>0.9404</b>   |

**SCHEDULE-B****(Land Identified as settlement area for displaced Families)**

| District    | Tehsil  | Pargana | Village      | Plot No. | Prastavit Chak no. | Area Earmarked for Rehabilitation |
|-------------|---------|---------|--------------|----------|--------------------|-----------------------------------|
| 1           | 2       | 3       | 4            | 5        | 6                  | 7                                 |
|             |         |         |              |          |                    | <i>Hectares</i>                   |
| MINOR SEMLI |         |         |              |          |                    |                                   |
| Sambhal     | Sambhal | Sambhal | Nekpur       | 1/3 व    | 308                | 0.0402                            |
|             |         |         | Mukhtiyarpur | 1/4      |                    |                                   |
|             |         |         |              | 9/1 व    | 366                | 0.0598                            |
|             |         |         |              | 15       |                    |                                   |
|             |         |         |              | 15       | 368                | 0.0358                            |
|             |         |         |              | 203/1    | 82                 | 0.1150                            |
|             |         |         |              | 210/2    | 324                | 0.0381                            |

| 1       | 2      | 3       | 4                    | 5     | 6               | 7               |
|---------|--------|---------|----------------------|-------|-----------------|-----------------|
|         |        |         |                      |       |                 | <i>Hectares</i> |
|         |        |         | MINOR SARKADA KAMAAL |       |                 |                 |
| Sambhal | Sambha | Sambhal | Nekpur               | 45    | 305             | 0.0100          |
|         | l      |         | Mukhtiyarpu          |       | 292             | 0.0525          |
|         |        |         | r                    |       | 325             | 0.0400          |
|         |        |         |                      | 84    | 300             | 0.0420          |
|         |        |         |                      |       | 277             | 0.0100          |
|         |        |         |                      |       | 364             | 0.0250          |
|         |        |         |                      |       | 316             | 0.0250          |
|         |        |         |                      |       | 346             | 0.0225          |
|         |        |         |                      |       | 347             | 0.0060          |
|         |        |         |                      |       | 326             | 0.0220          |
|         |        |         |                      |       | 298             | 0.0160          |
|         |        |         |                      | 174   | 53              | 0.0580          |
|         |        |         |                      | 175 व | 102             | 0.0430          |
|         |        |         |                      | 174   |                 |                 |
|         |        |         |                      | 182 व | 102             | 0.0975          |
|         |        |         |                      | 190   |                 |                 |
|         |        |         |                      | 189   | 108 व 245       | 0.1820          |
|         |        |         |                      |       | <b>Total ..</b> | <b>0.9404</b>   |

**Note :** A Plan of land may be inspected in the office of the Collector for the purpose of acquisition.

### NOTIFICATION OF DECLARATION BY COLLECTOR

[UNDER SUB-SECTION (2) OF SECTION 19 OF THE/ACT]

U.P. Irrigation Department, Executive Engineer MGCCD-10, Bulandshahr By the Order of declaration made under Government notification no..... Date..... for 0.9564 hectares of land in Village Nekpur Mukhtiyarpur, Pargana Sambhal, Tehsil Sambhal, District Sambhal is required for public purpose, namely, project Madhya Ganga Canal project (Stage-II) though Canal Construction (name of requiring body, I hereby published the declaration made therein and summary of the Rehabilitation and Resettlement scheme with Government notification. A summary of the Rehabilitation and Resettlement scheme is given below:

The plan for the land may be inspected in the office of the Collector for the purpose of land Acquisition.

Vinay Pandey.

Secretary/Authorized officer.s

**कार्यालय, जिलाधिकारी, बलिया**

(अधिनियम की धारा-19 की उपधारा (1) के अन्तर्गत)

**अधिसूचना**

17 नवम्बर, 2025 ई०

सं० 1271/आठ-वि०भू०अ०अ०/बलिया-चूँकि प्रारम्भिक अधिसूचना संख्या-1207/आठ-वि०भू०अ०अ०/बलिया दिनांक 21 अगस्त, 2025 के द्वारा लोक प्रयोजन अर्थात् राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन के माध्यम से सतही स्रोत आधारित बेलहरी ग्राम समूह पाइप पेयजल योजना एवं हनुमानगंज ग्राम समूह पाइप पेयजल योजना हेतु जिला-बलिया की तहसील-बैरिया के ग्राम-गोपालपुर में 0.1010 हे० और तहसील-सदर के ग्राम-हैबतपुर में 0.0571 हे० एवं ग्राम कटरिया में 0.7543 हे० कुल 0.9124 हे० भूमि के सम्बन्ध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (अधिनियम संख्या 30 सन 2013) (जिसे आगे उक्त अधिनियम कहा गया है।) की धारा-11 की उपधारा (1) के अधीन जारी की गयी थी तथा अन्तिम रूप से राजकीय गजट उत्तर प्रदेश में दिनांक 06 सितम्बर, 2025 को प्रकाशित किया गया है।

अतएव, अब उक्त अधिनियम की धारा-15 की उप धारा (2) के अधीन उपबन्धों के अनुसरण में प्रस्तुत की गयी कलेक्टर की रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् राज्यपाल उक्त अधिनियम की धारा-19 की उपधारा (1) के अधीन घोषणा करती है कि उन्हें यह समाधान हो गया है कि नीचे अनुसूची "क" में उल्लिखित भूमि का क्षेत्रफल लोक प्रयोजन के लिए आवश्यक है एवं इस परियोजना हेतु भूमि अर्जन से किसी परिवार के विस्थापित न होने के कारण अनुसूची "ख" में यथा-प्रदत्त ग्राम, परगना व जिला में कोई भूमि विस्थापित परिवारों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के लिए चिन्हित नहीं की गयी है—

**अनुसूची-"क"**

(प्रस्तावित अर्जन के अन्तर्गत भूमि)

| क्रम संख्या | जिला  | तहसील  | परगना  | ग्राम    | भू-खण्ड संख्या | अर्जित किये जाने वाला क्षेत्रफल |
|-------------|-------|--------|--------|----------|----------------|---------------------------------|
| 1           | 2     | 3      | 4      | 5        | 6              | 7                               |
|             |       |        |        |          |                | हेक्टेयर                        |
| 1           | बलिया | बैरिया | द्वाबा | गोपालपुर | 239            | 0.1010                          |
| 2           | "     | सदर    | सदर    | हैबतपुर  | 402            | 0.0211                          |
| 3           | "     | "      | "      | "        | 403            | 0.0237                          |
| 4           | "     | "      | "      | "        | 736 / 607      | 0.0123                          |
| 5           | "     | "      | "      | कटरिया   | 318            | 0.4440                          |
| 6           | "     | "      | "      | "        | 322            | 0.2950                          |
| 7           | "     | "      | "      | "        | 314            | 0.0085                          |
| 8           | "     | "      | "      | "        | 315            | 0.0068                          |
| योग .       |       |        |        |          | <b>08</b>      | <b>0.9124</b>                   |

## अनुसूची "ख"

(विस्थापित परिवारों के लिए व्यवस्थापन क्षेत्र के रूप में चिन्हित भूमि)

| क्रम संख्या | जिला  | तहसील | परगना | ग्राम | भू-खण्ड<br>संख्या | पुनर्वासन हेतु<br>चिन्हित क्षेत्रफल |
|-------------|-------|-------|-------|-------|-------------------|-------------------------------------|
| 1           | 2     | 3     | 4     | 5     | 6                 | 7                                   |
| 1           | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य             | शून्य                               |

हेक्टेयर—

टिप्पणी— उक्त भूमि का स्थल नक्शा कलेक्टर, बलिया के कार्यालय में देखा जा सकता है।

आज्ञा से,  
मंगला प्रसाद सिंह,  
समुचित सरकार/  
कलेक्टर बलिया।

## कार्यालय जिलाधिकारी, बिजनौर

अधिशाली अभियन्ता, पूर्वी गंगा नहर निर्माण खण्ड-6, नजीबाबाद

## प्रारूप-19

## नियम-27 का उपनियम (1)

समुचित सरकार/कलेक्टर द्वारा घोषणा

[(अधिनियम की धारा-19 की उपधारा (1) के अन्तर्गत)]

## अधिसूचना

27 नवम्बर, 2024 ई०

सं० 3938/आठ-वि०भू०अ०अ०/बिजनौर-अधिशाली अभियन्ता, पूर्वी गंगा नहर निर्माण खण्ड-6, नजीबाबाद के द्वारा पूर्वी गंगा नहर परियोजना के अन्तर्गत कोटरा रजवाह के गैप में नहर के निर्माण हेतु ग्राम-सैदपुरी महीचन्द परगना व तहसील-नगीना के गाटा सं०-257 में अर्जित की जा रही 0.0090 हेक्टेयर भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थान में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-11 की उपधारा (1) के अन्तर्गत जो प्रारम्भिक अधिसूचना संख्या 3307/आठ/वि०भू०अ०अ०/बिजनौर दिनांक 08 जुलाई, 2024 को निर्गत की गयी थी तथा अन्तिम रूप से शासकीय गजट में दिनांक 03 अगस्त, 2024 को प्रकाशित की गयी थी।

अधिनियम की धारा 15 की उपधारा (2) के प्राविधानों के अनुपालन में कलेक्टर द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के विचारोपरान्त अधिनियम की धारा 19 की उपधारा (1) के अन्तर्गत यह समाधान हो गया है कि अनुसूची क में वर्णित भूमि का क्षेत्रफल सार्वजनिक प्रयोजन हेतु आवश्यक है।

## अनुसूची-क

## (प्रस्तावित अर्जन के अन्तर्गत भूमि)

| जनपद   | तहसील | परगना | ग्राम           | भू-खण्ड संख्या | अर्जित किये जाने वाला क्षेत्रफल |
|--------|-------|-------|-----------------|----------------|---------------------------------|
| 1      | 2     | 3     | 4               | 5              | 6                               |
| बिजनौर | नगीना | नगीना | सैदपुरी महीचन्द | 257            | 0.0090 हेक्टेयर                 |
| योग .  |       |       |                 |                | 0.0090 हेक्टेयर                 |

**टिप्पणी—** उक्त भूमि का स्थल नक्शा बिजनौर के कलेक्टर के कार्यालय में देखा जा सकता है।

सं0 3939/आठ-वि0भू0अ0अ0/बिजनौर-अधिषासी अभियन्ता, पूर्वी गंगा नहर निर्माण खण्ड-6, नजीबाबाद के द्वारा पूर्वी गंगा नहर परियोजना के अन्तर्गत कोटरा रजवाह के गैप में नहर के निर्माण हेतु ग्राम-मौजमपुर जैतरा ग्रामीण परगना व तहसील-धामपुर में अर्जित की जा रही कुल 0.7308 हेक्टेयर भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थान में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-11 की उपधारा (1) के अन्तर्गत जो प्रारम्भिक अधिसूचना संख्या 3304/आठ/वि0भू0अ0अ0/बिजनौर दिनांक 08 जुलाई, 2024 को निर्गत की गयी थी तथा अन्तिम रूप से शासकीय गजट में दिनांक 03 अगस्त, 2024 को प्रकाशित की गयी थी।

अधिनियम की धारा-15 की उपधारा (2) के प्राविधानों के अनुपालन में कलेक्टर द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के विचारोपरान्त अधिनियम की धारा-19 की उपधारा (1) के अन्तर्गत यह समाधान हो गया है कि अनुसूची क में वर्णित भूमि का क्षेत्रफल सार्वजनिक प्रयोजन हेतु आवश्यक है।

## अनुसूची-क

## (प्रस्तावित अर्जन के अन्तर्गत भूमि)

| जनपद   | तहसील  | परगना  | ग्राम                    | भू-खण्ड संख्या | अर्जित किये जाने वाला क्षेत्रफल |
|--------|--------|--------|--------------------------|----------------|---------------------------------|
| 1      | 2      | 3      | 4                        | 5              | 6                               |
| बिजनौर | धामपुर | धामपुर | मौजमपुर जैतरा<br>ग्रामीण | 29अ            | हेक्टेयर—<br>0.0488             |
|        |        |        |                          | 29ब            |                                 |
|        |        |        |                          | 30अ            | 0.0488                          |
|        |        |        |                          | 30ब            |                                 |
|        |        |        |                          | 587            | 0.0990                          |
|        |        |        |                          | 588मि0         | 0.1760                          |
|        |        |        |                          | 588मि0         |                                 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5            | 6             |
|---|---|---|---|--------------|---------------|
|   |   |   |   |              | हेक्टेयर—     |
|   |   |   |   | 589मि0       | 0.0430        |
|   |   |   |   | 590अ         | 0.2432        |
|   |   |   |   | 590ब         |               |
|   |   |   |   | 591          | 0.0720        |
|   |   |   |   | <b>योग .</b> | <b>0.7308</b> |

**टिप्पणी—** उक्त भूमि का स्थल नक्शा बिजनौर के कलेक्टर के कार्यालय में देखा जा सकता है।

सं0 3940/आठ-वि0भू0अ0अ0/बिजनौर—अधिषासी अभियन्ता, पूर्वी गंगा नहर निर्माण खण्ड—6, नजीबाबाद के द्वारा पूर्वी गंगा नहर परियोजना के अन्तर्गत कोटरा रजवाह के गैप में नहर के निर्माण हेतु ग्राम हकीकतपुर गोविन्द परगना व तहसील नगीना के गाटा सं0—82 में अर्जित की जा रही 0.2464 हेक्टेयर भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थान में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-11 की उपधारा (1) के अन्तर्गत जो प्रारम्भिक अधिसूचना संख्या 3306/आठ/वि0भू0अ0अ0/बिजनौर दिनांक 08 जुलाई, 2024 को निर्गत की गयी थी तथा अन्तिम रूप से शासकीय गजट में दिनांक 03 अगस्त, 2024 को प्रकाशित की गयी थी।

अधिनियम की धारा-15 की उपधारा (2) के प्राविधानों के अनुपालन में कलेक्टर द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के विचारोपरान्त अधिनियम की धारा-19 की उपधारा (1) के अन्तर्गत यह समाधान हो गया है कि अनुसूची क में वर्णित भूमि का क्षेत्रफल सार्वजनिक प्रयोजन हेतु आवश्यक है।

### अनुसूची-क

#### (प्रस्तावित अर्जन के अन्तर्गत भूमि)

| जनपद   | तहसील | परगना | ग्राम               | भू-खण्ड संख्या | अर्जित किये जाने वाला क्षेत्रफल |
|--------|-------|-------|---------------------|----------------|---------------------------------|
| 1      | 2     | 3     | 4                   | 5              | 6                               |
| बिजनौर | नगीना | नगीना | हकीकतपुर<br>गोविन्द | 82             | 0.2464 हेक्टेयर                 |
|        |       |       |                     | <b>योग .</b>   | <b>0.2464 हेक्टेयर</b>          |

**टिप्पणी—** उक्त भूमि का स्थल नक्शा बिजनौर के कलेक्टर के कार्यालय में देखा जा सकता है।

सं0 3941/आठ-वि0भू0अ0अ0/बिजनौर—अधिषासी अभियन्ता, पूर्वी गंगा नहर निर्माण खण्ड-6, नजीबाबाद के द्वारा पूर्वी गंगा नहर परियोजना के अन्तर्गत कोटरा रजवाह के गैप में नहर के निर्माण हेतु ग्राम-मानपुर गहला परगना व तहसील-धामपुर के गाटा सं0-55, 56 व 58 में अर्जित की जा रही 0.2725 हेक्टेयर भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थान में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-11 की उपधारा (1) के अन्तर्गत

जो प्रारम्भिक अधिसूचना संख्या 3305/आठ/वि0भू0अ0अ0/बिजनौर दिनांक 08 जुलाई, 2024 को निर्गत की गयी थी तथा अन्तिम रूप से शासकीय गजट में दिनांक 03 अगस्त, 2024 को प्रकाशित की गयी थी।

अधिनियम की धारा-15 की उपधारा (2) के प्राविधानों के अनुपालन में कलेक्टर द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के विचारोपरान्त अधिनियम की धारा-19 की उपधारा (1) के अन्तर्गत यह समाधान हो गया है कि अनुसूची क में वर्णित भूमि का क्षेत्रफल सार्वजनिक प्रयोजन हेतु आवश्यक है—

### अनुसूची-क

#### (प्रस्तावित अर्जन के अन्तर्गत भूमि)

| जनपद   | तहसील  | परगना  | ग्राम       | भू-खण्ड संख्या | अर्जित किये जाने वाला क्षेत्रफल |
|--------|--------|--------|-------------|----------------|---------------------------------|
| 1      | 2      | 3      | 4           | 5              | 6                               |
|        |        |        |             |                | हेक्टेयर—                       |
| बिजनौर | धामपुर | धामपुर | मानपुर गहला | 55             | 0.0595                          |
|        |        |        |             | 56             | 0.0590                          |
|        |        |        |             | 58             | 0.1540                          |
|        |        |        |             | योग .          | 0.2725                          |

**टिप्पणी—** उक्त भूमि का स्थल नक्शा बिजनौर के कलेक्टर के कार्यालय में देखा जा सकता है।

जिला-कलेक्टर,  
बिजनौर।

### अलीगढ़ के जिलाधिकारी की आज्ञायें

आकार पत्र-1

11 सितम्बर, 2024 ई0

सं0 1746(4)/डी0एस0आर0सी0—उत्तर प्रदेश शासन के राजस्व अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या 68/3-2(जी)-1979-रा-1 दिनांक 05 सितम्बर, 1986 का आंशिक परिष्कार करते हुये और उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-8 सन् 2012) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासनादेश संख्या 744/एक-1-2016-20(5)/2016 दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए मैं विशाख जी0, जिलाधिकारी, अलीगढ़ निम्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उक्त शासनादेश दिनांक 05 सितम्बर, 1986 के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ-6 में उल्लिखित ग्राम पंचायतों/स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्धन में निहित थी, को फिर से अपने अधिकार में लेकर उसे जनपद अलीगढ़ की तहसील गभाना में थाना चण्डौस में कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय, चण्डौस के निर्माण हेतु उत्तर प्रदेश शासन, के बेसिक शिक्षा विभाग को निःशुल्क हस्तान्तरित करता हूँ। इस भूमि का अन्यथा उपयोग नहीं होगा।

## अनुसूची

| क्र०<br>सं० | जिला   | तहसील | परगना  | गाँव   | गाटा<br>संख्या | क्षेत्रफल | भूमि की<br>श्रेणी/<br>प्रकृति | विवरण/प्रयोजन जिसके<br>लिये भूमि पुनर्गृहीत की जा<br>रही है।                                                               |
|-------------|--------|-------|--------|--------|----------------|-----------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1           | 2      | 3     | 4      | 5      | 6              | 7         | 8                             | 9                                                                                                                          |
| हेक्टेयर    |        |       |        |        |                |           |                               |                                                                                                                            |
| 1           | अलीगढ़ | गभाना | चण्डौस | चण्डौस | 994            | 0.405     | श्रेणी 5-3<br>बंजर            | कस्तूरबा गांधी आवासीय<br>बालिका विद्यालय, चण्डौस<br>के निर्माण हेतु बेसिक<br>शिक्षा विभाग, उ०प्र०<br>शासन के निर्वर्तन पर। |

विशाख जी०,  
जिलाधिकारी, अलीगढ़।

## गौतमबुद्धनगर के जिलाधिकारी की आज्ञायें

विज्ञप्ति

26 सितम्बर, 2024 ई०

सं० 2298/डी०एल०आर०सी०/2024-उ०प्र० राजस्व संहिता, 2006 की धारा 59 एवं उ०प्र० शासन राजस्व अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या 32/744/एक-1-2016-16-20(5)/2016 दिनांक 03 जून, 2016 में उल्लिखित प्राविधानों तथा उपजिलाधिकारी दादरी द्वारा प्रेषित आख्या दिनांक 29 अगस्त, 2024 एवं अधिशासी अभियन्ता, पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि०, ग्रेटर नोएडा उपलब्ध कराई गई आख्या दिनांक 13 सितम्बर, 2024 को दृष्टिगत रखते हुए मै मनीष कुमार वर्मा, जिलाधिकारी गौतमबुद्धनगर निम्न अनुसूची के स्तम्भ 5 व 6 में उल्लिखित ग्राम सभा की भूमि को फिर से अपने अधिकार में लेता हूँ तथा उ०प्र० शासन के ऊर्जा विभाग, उ०प्र० शासन के निर्वर्तन पर रखते हुए 33/11 केवी विद्युत उपकेन्द्र के निर्माण हेतु निःशुल्क हस्तान्तरित करता हूँ।

## अनुसूची

| जिला         | तहसील | परगना | ग्राम   | खसरा<br>सं० | क्षेत्रफल | विवरण                   | भूमि पुनर्गृहीत करने<br>हेतु विशेष प्रयोजन          |
|--------------|-------|-------|---------|-------------|-----------|-------------------------|-----------------------------------------------------|
| 1            | 2     | 3     | 4       | 5           | 6         | 7                       | 8                                                   |
| हेक्टेयर     |       |       |         |             |           |                         |                                                     |
| गौतमबुद्धनगर | दादरी | दादरी | शाहबेरी | 38          | 0.1480    | नवीन परती<br>श्रेणी 5-1 | 33/11 केवी विद्युत<br>उपकेन्द्र के निर्माण<br>हेतु। |

मनीष कुमार वर्मा,  
जिलाधिकारी,  
गौतमबुद्धनगर।

**गजियाबाद के जिलाधिकारी की आज्ञायें**

27 नवम्बर, 2024 ई०

विज्ञप्ति

सं० 997/सात-डी०एल०आर०सी०/पुर्न०-2024-शासनादेश सं०-32/744/एक-1-2016-20(5)/2016 दिनांक 03 जून, 2016 का आंशिक परिष्कार करते हुए और उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उत्तर प्रदेश अधिनियम सं०-8 सन् 2012) की धारा-59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासनादेश सं०-35/740/एक-1-2016-20(5)/2016 दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए मैं इन्द्र विक्रम सिंह, जिलाधिकारी, गाजियाबाद निम्न अनुसूची के स्तम्भ 6 व 7 (गाटा संख्या व क्षेत्रफल) में उल्लिखित भूमि, जो अब तक उपरोक्त दिनांक 03 जून, 2016 के शासनादेश के अनुसार स्थानीय प्राधिकारी में निहित थी, को फिर से अपने अधिकार में लेता हूँ।

**अनुसूची**

| क्र० सं० | जिला      | तहसील   | परगना    | गांव             | गाटा सं० | क्षेत्रफल | भूमि की श्रेणी/प्रकृति | विवरण परियोजना जिसके लिए भूमि का पुर्नग्रहण किया जा रहा है)                                                                                                                     |
|----------|-----------|---------|----------|------------------|----------|-----------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1        | 2         | 3       | 4        | 5                | 6        | 7         | 8                      | 9                                                                                                                                                                               |
| हेक्टेयर |           |         |          |                  |          |           |                        |                                                                                                                                                                                 |
| 1        | गाजियाबाद | मोदीनगर | जलालाबाद | त्यौडी 13 बिस्वा | 45मि०/7  | 1.1160    | श्रेणी 5-3-ड, बंजर     | पशुधन विभाग, उ०प्र० शासन, लखनऊ के निर्वतन पर रखते हुए ग्राम त्यौडी 13 बिस्वा परगना जलालाबाद तहसील मोदीनगर जनपद गाजियाबाद वृहद गौ संरक्षण केन्द्र/अन्य अवस्थापना के निर्माण हेतु |

इन्द्र विक्रम सिंह,

जिलाधिकारी, गाजियाबाद।

**भदोही के जिलाधिकारी की आज्ञायें**

05 मार्च, 2025 ई०

सं० 560/डी०एल०आर०सी०-पुनर्ग्रहण/2025-शासनादेश संख्या-740/एक-1-2016-20(5)/2016 दिनांक 03 जून, 2016 एवं शासनादेश संख्या-744/एक-1-2016-20(5)/2016 दिनांक 03 जून, 2016 का आंशिक परिष्कार करते हुए और उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 (उ०प्र० अधिनियम सं० 8 सन् 2012) की धारा 59 की उप धारा (4) के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्ति तथा शासकीय अधिसूचना संख्या-741/एक-1-2016-20(5)/2016 दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं

विशाल सिंह, जिलाधिकारी भदोही संलग्न सूची में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उपरोक्त शासनादेश दिनांक 03 जून, 2016 के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ 6 में उल्लिखित ग्राम पंचायतों/स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्ध में निहित थी, को फिर से अपने अधिकार में लेता हूँ।

**अनुसूची**

| क्र0<br>सं0 | जिला  | तहसील    | परगना | गाँव               | गाटा<br>संख्या | क्षेत्रफल | प्रस्तावित<br>कुल<br>क्षेत्रफल | भूमि की<br>श्रेणी/प्रकृति | विवरण (प्रयोजन जिसके<br>लिए भूमि पुनर्गृहीत की<br>जा रही है)                                                  |
|-------------|-------|----------|-------|--------------------|----------------|-----------|--------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1           | 2     | 3        | 4     | 5                  | 6              | 7         | 8                              | 9                         | 10                                                                                                            |
|             |       |          |       |                    |                | हेक्टेयर  | हेक्टेयर                       |                           |                                                                                                               |
| 1           | भदोही | ज्ञानपुर | भदोही | चक<br>किसुन<br>दास | 103मि0         | 2.069     | 0.038                          | ऊसर                       | राजकीय आयुर्वेदिक<br>विभाग, उ0प्र0 शासन<br>(राजकीय आयुर्वेदिक<br>चिकित्सालय<br>चककिसुनदास की<br>स्थापना हेतु) |

विशाल सिंह,

जिलाधिकारी, भदोही।

**कार्यालय जिलाधिकारी, शाहजहाँपुर**

विज्ञप्ति

30 नवम्बर, 2024 ई0

सं0 302/सी0आर0ए0/रसीदबही/2024—सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि इस जनपद की तहसील पुवायों में कार्यरत संग्रह अमीन श्री योगेश कुमार मिश्रा का बैग कार से चोरी हो गया जिसमें वसूली से सम्बन्धित मांग-पत्र एवं रसीद आदि थी। जिसकी प्रथम सूचना रिपोर्ट थाना पुवायों में दर्ज करा दी गयी है। उक्त बैग में विविध देय की रसीद संख्या-699101 थी जिसमें 76 प्रयोगशुदा रशीदे तथा 24 बिना प्रयोग की रशीद थी। रसीद वही की बिना प्रयोग शुदा प्रतिपण को अनाधिकृत एवं अवैधानिक घोषित किया जाता है और इसका प्रयोग अनाधिकृत माना जायेगा तथा राजस्व विभाग में स्वीकार नहीं किया जायेगा। यह रसीद किसी व्यक्ति को मिले तो इसकी सूचना/वापस तत्काल अधोहस्ताक्षरी अथवा उपजिलाधिकारी पुवायों को करने का कष्ट करें।

**खोई हुई रसीदों का विवरण निम्नवत् है—**

| क्रम संख्या | नाम संग्रह अमीन         | रसीद बही का प्रकार | प्रयोगशुदा |        | बिना प्रयोग शुदा |        |
|-------------|-------------------------|--------------------|------------|--------|------------------|--------|
| 1           | 2                       | 3                  | 4          | 5      | 6                | 7      |
| 1           | श्री योगेश कुमार मिश्रा | विविध देय          | 699177     | 699178 | 699179           | 699200 |

डा0 सुरेश कुमार,

अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0)

शाहजहाँपुर।

**कार्यालय, चकबन्दी आयुक्त, उत्तर प्रदेश,  
लखनऊ  
विज्ञप्ति**

30 जून, 2025 ई0

सं0 3166/जी0-163/2024-25/धारा-52(1)–  
उत्तर प्रदेश, जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उत्तर प्रदेश, अधिनियम सं0-5-1954 ई0) की धारा-52 (1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0-1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23/1/1-(5)1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं भानु चन्द्र गोस्वामी, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील सदर परगना देहात अमानत, जनपद वाराणसी के ग्राम टिकरी में चकबन्दी क्रियाएं समाप्त हो गयी हैं।

सं0 3167/जी0-154/2024-25/धारा-52(1)–  
उत्तर प्रदेश, जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उत्तर प्रदेश, अधिनियम सं0-5-1954 ई0) की धारा-52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0-1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23/1/1-(5)1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं भानु चन्द्र गोस्वामी, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील व परगना उत्तरौला, जनपद बलरामपुर के ग्राम फत्तेपुर में चकबन्दी क्रियाएं समाप्त हो गयी हैं।

11 जुलाई, 2025 ई0

सं0 3401/जी0-157/2024-25/धारा-52(1)–  
उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उत्तर प्रदेश,

अधिनियम सं0-5-1954 ई0) की धारा-52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0-1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23/1/1-(5)1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं भानु चन्द्र गोस्वामी, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील हरैया परगना अमोढ़ा जनपद बस्ती के ग्राम बटौली, तप्पा-दुबौलिया में चकबन्दी क्रियाएं समाप्त हो गयी हैं।

सं0 3402/जी0-49ए/2023-24/धारा-52(1)–  
उत्तर प्रदेश, जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उत्तर प्रदेश, अधिनियम सं0-5-1954 ई0) की धारा-52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0-1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23/1/1-(5)1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं भानु चन्द्र गोस्वामी, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील बीघापुर परगना मगरायर जनपद उन्नाव के ग्राम ओसिया में चकबन्दी क्रियाएं समाप्त हो गयी हैं।

सं0 3403/जी0-167ए/2024-25/धारा-52(1)–  
उत्तर प्रदेश, जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उत्तर प्रदेश, अधिनियम सं0-5-1954 ई0) की धारा-52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0-1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23/1/1-(5)1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं भानु चन्द्र गोस्वामी, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्वारा

विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील व परगना भोगनीपुर जनपद कानपुर देहात के ग्राम बिदखुरी में चकबन्दी क्रियाएं समाप्त हो गयी हैं।

सं0 3404/जी0-201/2024-25/धारा-52(1)—  
उत्तर प्रदेश, जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उत्तर प्रदेश, अधिनियम सं0-5-1954 ई0) की धारा-52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0-1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23/1/1-(5)1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, भानु चन्द्र गोस्वामी, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील-लालगंज, परगना-कन्तित, जनपद-मीरजापुर के ग्राम अमदह, तप्पा-उपरौध में चकबन्दी क्रियाएं समाप्त हो गयी हैं।

सं0 3405/जी0-201/2024-25/धारा-52(1)—  
उत्तर प्रदेश, जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उत्तर प्रदेश, अधिनियम सं0-5-1954 ई0) की धारा-52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0-1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23/1/1-(5)1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, भानु चन्द्र गोस्वामी, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील-लालगंज, परगना-कन्तित, जनपद-मीरजापुर के ग्राम-बरडीहा कला, तप्पा-उपरौध में चकबन्दी क्रियाएं समाप्त हो गयी हैं।

सं0 3406/जी0-201/2024-25/धारा-52(1)—  
उत्तर प्रदेश, जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उत्तर प्रदेश, अधिनियम सं0-5-1954 ई0) की धारा-52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0-1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07

अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23/1/1-(5)1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, भानु चन्द्र गोस्वामी, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील-लालगंज, परगना-कन्तित, जनपद-मीरजापुर के ग्राम-भटवारी, तप्पा-उपरौध में चकबन्दी क्रियाएं समाप्त हो गयी हैं।

सं0 3407/जी0-152/2024-25/धारा-52(1)—  
उत्तर प्रदेश, जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उत्तर प्रदेश, अधिनियम सं0-5-1954 ई0) की धारा-52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0-1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23/1/1-(5)1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, भानु चन्द्र गोस्वामी, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील-बख्शी का तालाब परगना-महोना, जनपद-लखनऊ के ग्राम-सुल्तानपुर में चकबन्दी क्रियाएं समाप्त हो गयी हैं।

17 जुलाई, 2025 ई0

सं0 3463/जी0-362ए/2024-25/धारा-52(1)—  
उत्तर प्रदेश, जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उत्तर प्रदेश, अधिनियम सं0-5-1954 ई0) की धारा-52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0-1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23/1/1-(5)1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, भानु चन्द्र गोस्वामी, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील-नौतनवा, परगना-

हवेली, जनपद-महराजगंज के ग्राम-बरगदवा विशुनपुर में चकबन्दी क्रियाएं समाप्त हो गयी हैं।

23 जुलाई, 2025 ई०

सं० 3464/जी०-362/2024-25/धारा-52(1)–  
उत्तर प्रदेश, जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उत्तर प्रदेश, अधिनियम सं०-5-1954 ई०) की धारा-52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं०-1769/सी०एच०-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं० 23/1/1-(5)1991-टी०सी०आर०-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, भानु चन्द्र गोस्वामी, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील-फरेन्दा, परगना-हवेली, जनपद-महराजगंज के ग्राम कोल्हुई में चकबन्दी क्रियाएं समाप्त हो गयी हैं।

सं० 3465/जी०-362ए/2024-25/धारा-52(1)–  
उत्तर प्रदेश, जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उत्तर प्रदेश, अधिनियम सं०-5-1954 ई०) की धारा-52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं०-1769/सी०एच०-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं० 23/1/1-(5)1991-टी०सी०आर०-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, भानु चन्द्र गोस्वामी, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील-नौतनवा, परगना-हवेली, जनपद-महराजगंज के ग्राम-मुड़ली में चकबन्दी क्रियाएं समाप्त हो गयी हैं।

सं० 3543/जी०-161/2024-25/धारा-52(1)–  
उत्तर प्रदेश, जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उत्तर प्रदेश, अधिनियम सं०-5-1954 ई०) की धारा-52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं०-1769/सी०एच०-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं० 23/1/1-(5)1991-टी०सी०आर०-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, भानु चन्द्र गोस्वामी, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील-बस्ती (सदर), परगना-नगर पूरब, जनपद-बस्ती के ग्राम-नगरखास, तप्पा-हवेली में चकबन्दी क्रियाएं समाप्त हो गयी हैं।

सं० 3544/जी०-152/2024-25/धारा-52(1)–  
उत्तर प्रदेश, जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उत्तर प्रदेश, अधिनियम सं०-5-1954 ई०) की धारा-52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं०-1769/सी०एच०-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं० 23/1/1-(5)1991-टी०सी०आर०-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, भानु चन्द्र गोस्वामी, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील-लम्भुआ, परगना-चांदा, जनपद-सुलतानपुर के ग्राम-मल्लीपुर में चकबन्दी क्रियाएं समाप्त हो गयी हैं।

भानु चन्द्र गोस्वामी,  
चकबन्दी संचालक,  
उत्तर प्रदेश।



# सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

## उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

प्रयागराज, शनिवार, 29 नवम्बर, 2025 ई० (अग्रहायण 08, 1947 शक संवत्)

भाग 7-ख

इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की अनुविहित तथा अन्य निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियां

भारत निर्वाचन आयोग

तारीख 24 दिसम्बर, 2024 ई०  
3 पौष, 1946 (शक)

### अधिसूचना

सं० 82/उ०प्र०-लो०स०/12/2024(इला०)-लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 106 के अनुसरण में, भारत निर्वाचन आयोग वर्ष 2024 की निर्वाचन याचिका संख्या 12 में माननीय उच्च उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के दिनांक 18 अक्टूबर, 2024 के निर्णय को एतद्वारा प्रकाशित करता है।

आदेश से,  
पवन दीवान,  
सचिव,  
भारत निर्वाचन आयोग।

आज्ञा से,  
चन्द्रशेखर,  
प्रमुख सचिव।

**ELECTION COMMISSION OF INDIA**

New Delhi, dated 24<sup>th</sup> December, 2024

3 Pausha, 1946 (Saka)

**NOTIFICATION**

**No. 82/UP-HP/12/2024(Alld.)**—In pursuance of Section 106 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the Election Commission of India hereby publishes the Judgement dated 18<sup>th</sup> October, 2024 of the Hon'ble High Court of Judicature at Allahabad in Election Petition No. 12 of 2024.

By Order,  
PAWAN DIWAN,  
*Secretary,*  
*Election Commission of India.*

By order,  
CHANDRA SHEKHAR,  
*Special Secretary.*

**IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD****ELECTION PETITION NO. 12 OF 2024**

(Section 80, 80-A, 81 of Representative of the People Act, 1951)

**DISTRICT : VARANASI**

Vijay Nandan Son of Shri Baisakhulal Nandan,  
Resident of Ladaiya Mohalla, Tilak Ward No. 18,  
District Seoni, M.P.

.....*Petitione.*

**VERSUS**

1. Cheif Election Commissioner, Election Commission of India, Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi 110001.
2. Cheif Electoral Officer & Principal Secretary, Election Department Uttar Pradesh IVth Floor, Vikas Bhawan, Hazratganj, Lucknow, Uttar Pradesh
3. Returning Office/District Election Officer Varanasi Lok Sabha Constituency, Varanasi, Uttar Pradesh.
4. Shri Narandra Modi S/o. Shri Damodardas Modi  
(Nominated from Varanasi Lok Sabha Constituency)  
Hon'ble Prime Minster  
Prime Minister's Office, South Block, Raisina Hill, New Delhi-110011

..... *Respondents.*

Neutral Citation No. - 2024:AHC:166524

**Court No. - 39****Case :-** ELECTION PETITION No. - 12 of 2024**Petitioner :-** Vijay Nandan**Respondent :-** Chief Election Commissioner, Election Commission Of India And 3 Others**Counsel for Petitioner :-** In Person**Hon'ble Saumitra Dayal Singh, J.**

1. Heard the election petitioner.

2. Shri Ashutosh Mishra has raised a preliminary objection as to the impleadment of the Election Commission of India as party respondent. However, in view of the order proposed to be passed, that preliminary objection is not being dealt with together.

3. Present petition has been first presented in accordance with the provision of Representation of the People Act, 1951 on 07.08.2024. It has been reported beyond time by 19 days. In

**Election Petition No. 01 of 2024 (Jay Prakash and another v. Anjula Singh Mahaur and another), Neutral Citation No.- 2024:AHC:47288**, I had the occasion to consider the issue of maintainability of delay condonation application. In that proceeding, it was observed as below :

*"13. Having heard learned counsel for the election-petitioners and the learned Amicus Curiae, it is beyond any doubt-the period of limitation prescribed under the Act is rigid. It is also undoubted, the present proceedings are original in nature arising by way of statutory proceedings under the Act. Therefore, on first principle itself, condonation of delay may never be permissible de hors the provisions of the Act. Then, while limitation to file an Election Petition is prescribed under Section 81 of the Act, section 86(1) of the Act reads as below:*

*"[86. Trial of election petitions.- (1) The High Court shall dismiss an election petition which does not comply with the provisions of section 81 or section 82 or section 117.*

*Explanation.- An order of the High Court dismissing an election petition dismissing an election petition under this sub-section shall be deemed to be an order made under clause (a) of section 98."*

*14. Therefore, the consequence of non-compliance of Section 81 of the Act is prescribed. It is unequivocal. An Election Petition that does not comply with Section 81 of the Act may only invite a singular outcome/result. That has to be dismissal.*

*15. In K. Venkateswara Rao and another Vs. Bekkam Narsimha Reddi and others AIR 1969 SC 872, it was observed as under:*

*"12. It is well settled that amendments to a petition in a civil proceeding and the addition of parties to such a proceeding are generally possible subject to the law of limitation. But an election petition stands on a different footing. The trial of such a petition and the powers of the court in respect thereof are all circumscribed by the Act. The Indian Limitation Act of 1963 is an Act to consolidate and amend the law of limitation of suits and other proceedings and for purposes connected therewith. The provisions of this Act*

*will apply to all civil proceedings and some special criminal proceedings which can be taken in a court of law unless the application thereof has been excluded by any enactment: the extent of such application is governed by Section 29(2) of the Limitation Act. In our opinion however the Limitation Act cannot apply to proceedings like an election petition inasmuch as the Representation of the People Act is a complete and self-contained code which does not admit of the introduction of the principles or the provisions of law contained in the Indian Limitation Act."*

*(emphasis supplied)*

*17. It was argued that if a petition were to be thrown out merely because a necessary party had not been joined within the period of 45 days no enquiry into the corrupt practices alleged to have been committed at certain elections would be possible. This is however a matter which can be set right only by the Legislature. It is worthy of note that although the Act has been amended on several occasions, a provision like Section 86(1) as it now stands has always been on the statute book but whereas in the Act of 1951 the discretion was given to the Election Commission to entertain a petition beyond the period fixed if it was satisfied as to the cause for delay no such saving clause is to be found now. The legislature in its wisdom has made the observance of certain formalities and provisions obligatory and failure in that respect can only be visited with a dismissal of the petition.*

*(emphasis supplied)*

*18. It is to be noted however that even though the Indian Limitation Act, 1963 does not apply to an election petition provisions like Sections 9 and 10 of the General Clauses Act, 1897 providing for computation of time which are in pari materia with Sections 12(1) and 4 of the Limitation Act would apply to such a petition."*

*16. Any doubt with respect to applicability of Section 4 to 24 of the Limitation Act to Election Petition proceedings also stands removed by the subsequent decision of the Supreme Court in **Hukumdev Narayan Yadav Vs. Lalit Narain Misra AIR 1974 SC 480**, wherein it was observed as below:*

*"17. Though Section 29 (2) of the Limitation Act has been made applicable to appeals both under the Act as well as under the Code of Criminal Procedure, no case has been brought to our notice where Section 29(2) has been made applicable to an election petition filed under Section 81 of the Act by virtue of which either Sections 4, 5 or 12 of the Limitation Act has been attracted. Even assuming that where a period of limitation has not been fixed for election petitions in the Schedule to the Limitation Act which is different from that fixed under Section 81 of the Act, Section 29 (2) would be attracted, and what we have to determine is whether the provisions of this Section are expressly excluded in the case of an election petition. It is contended before us that the words "expressly excluded" would mean that there must be an express reference made in the special or local law to the specific provisions of the Limitation Act of which the operation is to be excluded. As usual the meaning given in the Dictionary has been relied upon, but what we have to see is whether the scheme of the special law, that is in this case the Act, and the nature of the remedy provided therein are such that the Legislature intended it to be a complete code by itself which alone should govern the several matters provided by it. If on an examination of the relevant provisions it is clear that the provisions of the Limitation Act are necessarily excluded, then the benefits conferred therein cannot be called in aid to supplement the provisions of the Act. In our view, even in a case where the special law does not exclude the provisions of Sections 4 to 24 of the Limitation Act by an express reference, it would*

*nonetheless be open to the Court to examine whether and to what extent the nature of those provisions or the nature of the subject-matter and scheme of the special law exclude their operation. The provisions of Section 3 of the Limitation Act that a suit instituted, appeal preferred and application made after the prescribed period shall be dismissed are provided for in Section 86 of the Act which gives a peremptory command that the High Court shall dismiss an election petition which does not comply with the provisions of Sections 81, 82 or 117. It will be seen that Section 81 is not the only Section mentioned in Section 86, and if the Limitation Act were to apply to an election petition under Section 81 it should equally apply to Sections 82 and 117 because under Section 86 the High Court cannot say that by an application of Section 5 of the Limitation Act, Section 81 is complied with while no such benefit is available in dismissing an application for noncompliance with the provisions of Sections 82 and 117 of the Act, or alternatively if the provisions of the Limitation Act do not apply to Section 82 and Section 117 of the Act, it cannot be said that they apply to Section 81. Again Section 6 of the Limitation Act which provides for the extension of the period of limitation till after the disability in the case of a person who is either a minor or insane or an idiot is inapplicable to an election petition. Similarly, Sections 7 to 24 are in terms inapplicable to the proceedings under the Act, particularly in respect of the filing of election petitions and their trial.*

*18. It was sought to be contended that only those provisions of the Limitation Act which are applicable to the nature of the proceedings under the Act, unless expressly excluded, would be attracted. But this is not what Section 29 (2) of the Limitation Act says, because it provides that Sections 4 to 24 (inclusive) shall apply only in so far as, and to the extent to which, they are not expressly excluded by such special or local law. If none of them are excluded, all of them would become applicable. Whether those Sections are applicable is not determined by the terms of those Sections, but by their applicability or inapplicability to the proceedings under the special or local law. A person who is a minor or is insane or is an idiot cannot file an election petition to challenge an election, nor is there any provision in the Act for legal representation of an election petitioner or respondent in that petition who dies, in order to make Section 16 of the Limitation Act applicable. The applicability of these provisions has, therefore, to be judged not from the terms of the Limitation Act but by the provisions of the Act relating to the filing of election petitions and their trial to ascertain whether it is a complete code in itself which does not admit of the application of any of the provisions of the Limitation Act mentioned in Section 29(2) of that Act.*

*20. It is also significant that delay in the presentation of the election petition under the repealed Section 81 could be condoned by the Election Commission in its discretion under the proviso to the repealed Section 85 of the Act. But there was nothing in Section 85 which permitted the Election Commission to condone the non-compliance with the provisions of Section 117 of the Act. When the Act was amended and the jurisdiction was given to the High Court to entertain and try election petitions, a provision similar to the proviso for condoning delay was not enacted. This omission definitely expresses Parliament's intention not to confer the power to condone any delay in the presentation of the petition. The whole object of the amendment in 1966 was to provide a procedure for a more expeditious method of disposal of election disputes, which experience had shown had become dilatory under the former procedure where election trials were not concluded even after five years when the next elections were held, notwithstanding the fact that every petition was enjoined to be tried as expeditiously as possible and endeavour was required to be made to conclude the trial within six months from the date on which the election petition was presented to the High Court for trial."*

**(emphasis supplied)**

23. *For the reasons noted above, the Limitation Act per se does not apply to proceedings under the Act. Further, the Act is a complete Code providing for singular consequence in filing belated Election Petition. Further, in absence of any other fact shown to the Court as may allow for any deliberation to arise, I find no useful purpose in avoiding the consequence of dismissal to visit the election-petitioners-by issuance of notice to the respondent. Already two years (of the term of five years), are over."*

4. On that reasoning, that election petition was dismissed as barred by limitation. To that extent, the delay condonation application filed along with the petition is misconceived. It is accordingly rejected as not maintainable. The election petition fails and is accordingly **dismissed**.

5. As to the claim of the election petitioner that he had filed an election petition within time through electronic mode, thrice on 30.05.2024, 29.06.2024 and 27.07.2024, no discussion is required to be made with respect to those filings, if any, in this order. Those filings, if made are not before the Court. At present, those are not shown to have been registered, either. This proceeding has not been registered on any of those filings. It is a physically filed proceeding first received for registration with delay of 19 days. Suffice to note, in the context of the statutory proceedings that arise by way of election petition, it is not for the Court (in these proceedings), to make any observation with respect to any other filing claimed by the petitioner as that is not shown to have been registered.

**Order Date :-** 18.10.2024

SA

**Sd/- (S.D. Singh, J.)**



# सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

## उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

प्रयागराज, शनिवार, 29 नवम्बर, 2025 ई० (अग्रहायण 08, 1947 शक संवत्)

### भाग 8

नगरपालिका परिषद्, नगर पंचायत, सरकारी कागज-पत्र, दबाई हुई रूई की गांठों का विवरण-पत्र, जन्म-मरण के आंकड़े, रोगग्रस्त होने वालों और मरने वालों के आंकड़े, फसल और ऋतु सम्बन्धी रिपोर्ट, बाजार-भाव, सूचना, विज्ञापन इत्यादि।

#### NOTICE

No Legal Responsibility is accepted for the Publication of Advertisements/Public Notices in this Part of the Gazette of Uttar Pradesh. Persons Notifying the Advertisements/Public Notices will remain Solely, Responsible for the Legal Consequences and also for any other Misrepresentation etc.

By Order,  
Director.

### कार्यालय नगर पालिका परिषद, रामपुर

15 जुलाई, 2025 ई०

सं० 843/एच०ओ०डी०-उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1916 की धारा-293 व 298 के अन्तर्गत व वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्गत 'ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन नियम 2016' के अन्तर्गत वांछित व्यवस्थाओं के क्रियान्वयन एवं विनियमन हेतु नगर पालिका परिषद, रामपुर द्वारा नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन तथा स्वच्छता उपविधि-2020 बनायी है। यह उपविधि ठोस अपशिष्टों के संग्रहण, भण्डारण, परिवहन, प्रसंस्करण (Processing) एवं निपटान (Disposal) तथा स्वच्छता सम्बन्धी प्रकरणों के सभी मामलों एवं वस्तुओं के विनियमन के सम्बन्ध में है। तत्क्रम में नगर पालिका परिषद रामपुर, द्वारा बोर्ड प्रस्ताव सं० 8 दिनांक 01 सितम्बर, 2020 को सर्वसम्मति से स्वीकृत किया गया। तदुपरान्त आपत्ति प्राप्त करने हेतु दैनिक समाचार पत्र हिन्दुस्तान, अवाम-ए-हिन्द में दिनांक 23 अक्टूबर, 2020 को प्रकाशित कराया गया। प्रकाशन की निर्धारित समय अवधि 01 माह के अन्दर नगर पालिका परिषद, रामपुर को कोई भी आपत्ति एवं सुझाव प्राप्त नहीं हुआ। निम्नवत् उपविधि को गजट में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी माना जायेगा।

## अनुसूची-1

## नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबंधन तथा स्वच्छता उपविधि 2020

| क्रम<br>सं० | उल्लंघन                                                                                                                                                                                                                        | प्रशमन<br>शुल्क | 02 वर्ष की<br>अवधि में पुनः<br>उल्लंघन की<br>दशा में<br>प्रशमन शुल्क | नगर निकाय द्वारा<br>अपशिष्ट उत्पादक के<br>दायित्वों का निर्वहन करने<br>की दशा में प्रशासकीय<br>व्यय की धनराशि |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1           | 2                                                                                                                                                                                                                              | 3               | 4                                                                    | 5                                                                                                             |
|             |                                                                                                                                                                                                                                | रु०             |                                                                      | रु०                                                                                                           |
| 1.          | व्यक्ति/संस्था द्वारा किसी अनाधिकृत स्थल पर किसी—                                                                                                                                                                              |                 |                                                                      |                                                                                                               |
| 1—          | अपशिष्ट फैलाना/फेकना।                                                                                                                                                                                                          | 200/-           | प्रशमन शुल्क                                                         | 500/-                                                                                                         |
| 2—          | थूकना                                                                                                                                                                                                                          | 100/-           | का पाँच गुना                                                         | 200/-                                                                                                         |
| 3—          | मूल विर्सजन करना।                                                                                                                                                                                                              | 100/-           |                                                                      | 250/-                                                                                                         |
| 4—          | जानवरों के अनिर्दिष्ट स्थान पर खिलाना।                                                                                                                                                                                         | 500/-           |                                                                      | 1,500/-                                                                                                       |
| 5—          | वाहनों की धुलाई।                                                                                                                                                                                                               | 500/-           |                                                                      | 1,500/-                                                                                                       |
| 6—          | कपड़े धोना।                                                                                                                                                                                                                    | 500/-           |                                                                      | 1,500/-                                                                                                       |
| 7—          | सार्वजनिक स्थान, नदी, तालाब या कुंड में<br>गंदी फैलाना।                                                                                                                                                                        | 500/-           |                                                                      | 1,500/-                                                                                                       |
| 2.          | मार्ग, पार्क, घाटों आदि सार्वजनिक स्थल की<br>सफाई हो जाने के बाद अपशिष्ट डालने पर।                                                                                                                                             | 500/-           |                                                                      | 1,000/-                                                                                                       |
| 3.          | घाटो, सीढ़ियों, सड़कों के डिवाइडर, नाम पटों,<br>साइनेज या मार्ग दर्शक बोर्डों अथवा इसी प्रकार<br>के सार्वजनिक स्थानों, स्मारकों, ऐतिहासिक भवनों<br>पर पोस्टर या अन्य सामग्री चिपकाकर या अन्य<br>प्रकार से गंदगी करने/कराने पर। | 500/-           |                                                                      | 5,000/-                                                                                                       |
| 4.          | पालतु पशुओं को खुला छोड़कर मार्गों/खुले<br>सार्वजनिक स्थलों पर उनके मलमूत्र से गन्दगी,<br>आवागमन में अवरोध पैदा करने/ कराने पर।                                                                                                | 500/-           |                                                                      | 1,000/-                                                                                                       |
| 5.          | नाले नालियों, ड्रेनेज/सीवरेज सिस्टम में गोबर<br>इत्यादि डालकर गन्दगी करने पर।                                                                                                                                                  | 500/-           |                                                                      | 1,000/-                                                                                                       |
| (क)–        | पशु पालक 5 जानवरों तक                                                                                                                                                                                                          | 1,000/-         |                                                                      | 5,000/-                                                                                                       |
| (ख)–        | पशु पालक 5 जानवरों से अधिक व 25<br>जानवरों तक                                                                                                                                                                                  | 5,000/-         |                                                                      | 10,000/-                                                                                                      |
| (ग)–        | पशु पालक 25 जानवरों से अधिक                                                                                                                                                                                                    | 10,000/-        |                                                                      | 20,000/-                                                                                                      |

| 1   | 2                                                                                                                            | 3                | 4                         | 5                                                   |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------|
|     |                                                                                                                              | रु०              |                           | रु०                                                 |
| 6.  | डस्टबिन/स्टोरेज कन्टेनर के बाहर अपशिष्ट फैलाना।                                                                              | 500/-            | प्रशमन शुल्क का पाँच गुना | 500/-                                               |
| 7.  | उपकरणों/कपड़ों अन्य किसी सामग्री अनिर्दिष्ट स्थल पर धुलाई।                                                                   | 500/-            |                           | 1,000/-                                             |
| 8.  | किसी परिसर में 24 घंटे से अधिक की अवधि के लिए कूड़ा-करकट को बनाये रखना।                                                      | 500/-            |                           | 2,000/-                                             |
| 9.  | कानून का उल्लंघन करते हुए शव का अनियमित निस्तारण।                                                                            | 1,000/-          |                           |                                                     |
| 10. | अपने परिसर को स्वच्छ रखने में असफल रहना—                                                                                     |                  |                           |                                                     |
|     | (क)— डबलिंग यूनिट/भवन/फ्लैट                                                                                                  | 500/-            |                           | शून्य                                               |
|     | (ख)— दुकान/बूथ                                                                                                               | 400/-            |                           | शून्य                                               |
|     | (ग)— माल/मल्टीप्लेक्स/शापिंग आर केड/होटल                                                                                     | 5,000/-          |                           | शून्य                                               |
|     | (घ)— शैक्षणिक/धार्मिक/अन्य संस्थान                                                                                           | 2,000/-          |                           | शून्य                                               |
| 11. | प्रतिबन्धित पॉलीथीन आइट्मस का उत्पादन, वितरण, भण्डारण एवं विक्रय करने पर।                                                    | 25,000/-         |                           | शून्य                                               |
| 12. | थर्मोकोल आइट्मस का उत्पादन वितरण, भण्डारण एवं विक्रय करने पर।                                                                | 25,000/-         |                           | शून्य                                               |
| 13. | बिना पृथक्करण किये हुए तथा बिना अलग-अलग निर्धारित बिन में रखे हुए कूड़े को सौपना                                             |                  |                           |                                                     |
|     | (क)— व्यक्ति भवन                                                                                                             | 200/-            |                           |                                                     |
|     | (ख)— दुकान/बूथ                                                                                                               | 500/-            |                           |                                                     |
|     | (ग)—माल/मल्टीप्लेक्स/शापिंग आर केड/होटल                                                                                      | 5,000/-          |                           |                                                     |
|     | (घ)— शैक्षणिक/धार्मिक/अन्य संस्थान                                                                                           | 2,000/-          |                           |                                                     |
|     | (ड)— औद्योगिक भूखण्ड/यूनिट                                                                                                   | 5,000/-          |                           |                                                     |
|     | (च)— इवेन्ट आरगेनाइजर्स                                                                                                      | 5,000/-          |                           |                                                     |
| 14. | वृहद् अपशिष्ट (100 किलो ग्राम प्रतिदिन से अधिक उत्सर्जकों द्वारा अपशिष्ट) के उपचार के लिए आवश्यक सुविधाओं का निर्माण न करना। | 5,000/- प्रतिमाह | 10,000 प्रतिमाह           | प्रशमन शुल्क एवं अपशिष्ट के परिवहन का वास्तविक व्यय |

| 1   | 2                                                                                                                  | 3            | 4                                       | 5                                                   |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|     |                                                                                                                    | रु०          |                                         | रु०                                                 |
| 15. | विनिर्दिष्ट परिसंकटमय अपशिष्ट (हजार्डस वेस्ट) को सार्वजनिक अथवा प्राइवेट स्थल पर डम्प करने पर।                     | 2,000/-      | 4,000                                   | प्रशमन शुल्क एवं अपशिष्ट के परिवहन का वास्तविक व्यय |
| 16. | बयोमेडिकल अपशिष्ट को अन्य अपशिष्ट के साथ डम्प करने पर।                                                             | 5,000/-      | 10,000                                  | प्रशमन शुल्क एवं अपशिष्ट के परिवहन का वास्तविक व्यय |
| 17. | विनिर्दिष्ट परन्तु परिसंकटमय अपशिष्ट को यथाविनिर्दिष्ट पृथक्करण रीति से डिलीवरी न करने पर।                         | 1,000/-      | 2,000                                   | —                                                   |
| 18. | जैव चिकित्सीय अपशिष्ट की यथा विनिर्दिष्ट पृथक्करण रीति से डिलीवरी न करने पर।                                       | 1,000/-      | 2,000                                   | —                                                   |
| 19. | निर्माण और ढहाने के अपशिष्ट का यथाविनिर्दिष्ट पृथक्करण रीति से भण्डारण न करने/अधिकृत एजेन्सी को डिलीवरी न करने पर। | 500 प्रति टन | प्रशमन शुल्क का पाँच गुना उपरोक्तानुसार | प्रशमन शुल्क एवं अपशिष्ट के परिवहन का वास्तविक व्यय |
| 20. | शुल्क अपशिष्ट की यथा विनिर्दिष्ट पृथक्करण रीति से डिलीवरी न करने पर।                                               | 500/-        | 500                                     | —                                                   |
| 21. | उद्यान अपशिष्ट और पेड़ों की छंटाई के कूड़े की यथाविनिर्दिष्ट पृथक्करण रीति से डिलीवरी न करने पर।                   | 1,000/-      | 2,000                                   | 1,000/-                                             |
| 22. | अपशिष्ट जलाकर निस्तारण करने पर।                                                                                    | 1,000/-      | 2,000                                   | —                                                   |
| 23. | खुले में शौच करने पर।                                                                                              | 500/-        | 100                                     | —                                                   |
| 24. | पालतू जानवरों के अपशिष्ट को सार्वजनिक गलियों/ सड़कों/पार्क में फेकना।                                              | 500/-        | 1,000                                   | 5,000/-                                             |
| 25. | घरेलू अपशिष्ट से भिन्न मछली, मुर्गा और अपशिष्ट की यथानिर्दिष्ट पृथक्करण रीति से डिलीवरी न करने पर।                 | 500/-        | 1,000                                   | 1,000/-                                             |
| 26. | बिना डिब्बा/अपशिष्ट टोकरी के ठेले वालों/फेरी वाले/दुकानदारों के लिए।                                               | 100/-        | 200                                     | —                                                   |
| 27. | पालतू रखे गये पशुओं द्वारा कूड़ा फैलाए जाने के लिए।                                                                | 500/-        | 1,000                                   | 5,000/-                                             |
| 28. | व्यक्ति/संस्था/प्रतिष्ठान द्वारा सार्वजनिक स्थल पर अनिधिकृत रूप से पानी बहाने पर।                                  | 1,000/-      | 2,000                                   | —                                                   |

| 1   | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3       | 4     | 5                                                                                 |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | रु0     |       | रु0                                                                               |
| 29. | सार्वजनिक सम्मेलन/समारोह के पश्चात 24 घण्टे के भीतर सफाई न करने के लिए।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5,000/- | 1,000 | सफाई करने पर अपने वाले वास्तविक व्यय की वसूली एवं स्वच्छता डिपॉजिट जम्मा कर लेना। |
| 30. | उत्तर प्रदेश, शासन नगर विकास अनुभाग-7 के संख्या-1056/9-7-18-29 लखनऊ 18, 15 जुलाई 2018 के अनुपालन में किसी संस्थान/वाणिज्यक संस्था/वाणिज्यक प्रतिष्ठान/शैक्षिक संस्थाओं/होटलों/दुकानों/रेस्तराओं/मिष्ठान दुकानों ढाबों/औद्योगिक प्रतिष्ठानों/भोजन कक्षों आदि परिसर के अन्तर्गत और सड़कों, मार्गों नालो, नालियों, झीलों, तालाबों, क्षेत्रों, सार्वजनिक, पार्कों समस्त सार्वजनिक स्थलों आदि पर प्लास्टिक अपशिष्ट का फेंका जाना। |         |       | जुर्माना धनराशि रु0 25,000.00 प्रत्येक बार                                        |
| 31. | उत्तर प्रदेश, शारान नगर विकास अनुभाग-7 के संख्या-1056/97-18-29 लखनऊ 18 15 जुलाई 2018 के अनुपालन में व्यक्तियों द्वारा किन्हीं निजी वाणिज्यक प्रतिष्ठानों तथा शैक्षिक संस्थाओं/कार्यालयों/होटलों/दुकानों/रेस्तराओं/मिष्ठान दुकानों ढाबों/औद्योगिक प्रतिष्ठानों/भोजन कक्षों आदि और सड़कों मार्गों, नदियों, झीलों सार्वजनिक पार्कों, वन क्षेत्रों और समस्त सार्वजनिक संस्थाओं आदि पर प्लास्टिक अपशिष्ट का फेंका जाना।           |         |       | जुर्माना धनराशि रु0 10,000.00 प्रत्येक बार                                        |
| 32. | (1)– मा0 उच्चन्यायालय में दिनांक 09 नवम्बर, 2016 को निर्धारित सुनवाई संख्या 3595/नौ-5-2016-29 रिट/2014 के अनुपालन एवं मा0 एन0जी0टी0 एक्ट-2010 की धारा-15 एवं 16 में किये गये प्राविधानों के अनुसार सड़क के किनारे भवन निर्माण सामग्री के अवशेष को सड़क पर रखे जाने पर।<br>(2)– नगरीय ठोस अपशिष्ट को सड़क किनारे फेंके जाने तथा अपशिष्टों को जलाये जाने की प्रत्येक घटना के लिए।                                              |         |       | रु0 50,000.00 प्रत्येक बार<br>रु0 5,000 प्रत्येक बार                              |

### प्रशमन शुल्क तालिका (ड्राफ्ट)

#### नोट—

1— उपरोक्त प्रशमन/सगझौता शुल्क/चार्ज के दो वर्षों के उपरान्त पुनः निर्धारण का अधिकार अधिशासी अधिकारी में निहित होगा। इसके पुनः निर्धारण के उपरान्त पूर्व की दरें स्वतः निष्प्रभावी हो जायेगी।

2— अधिकृत अधिकारी/एजेन्सी द्वारा प्रतिबन्धित पॉलीथीन/थरमाकोल अथवा अन्य प्रतिबन्धित सामग्री का उत्पादन एवं वितरण उसी स्थान/यूनिट से बार-बार पाये जाने पर उनके द्वारा ऐसी यूनिट को बन्द करने की संस्तुति अधिशासी अधिकारी को की जायेगी एवं इस प्रकार की रिपोर्ट प्राप्त होने पर अधिशासी अधिकारी द्वारा उत्तर प्रदेश, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से ऐसी यूनिट को बन्द करने हेतु आवश्यक कार्यवाही करने हेतु कहा जायेगा।

3— यदि अधिकृत अधिकारी/एजेन्सी या कोई भी सामान्य नागरिक किसी कर्मचारी को खुले में कूड़ा जलाते हुए पाता है तो वे उसकी रिपोर्ट निकाय के अधिकारी को उसके विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हेतु प्रेषित करेंगे—

### अनुसूची-2

#### जैवनाशित और पुनर्चक्रिय अपशिष्ट की सूची

| जैवनाशित अपशिष्ट<br>(उदाहरणार्थ स्वरूप)                                                                                                  | पुनर्चक्रिय अपशिष्ट<br>(उदाहरणार्थ स्वरूप)                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| जैवनाशित अपशिष्ट से तात्पर्य जीवाणु या अन्य जीवित प्राणियों द्वारा अपघटित या नाशित किये जाने योग्य कूड़ा कचारा या अपशिष्ट सामग्री से है। | पुनर्चक्रिय अपशिष्ट का तात्पर्य ऐसे शुष्क अपशिष्ट से है जिसे नयी वस्तुओं के उत्पादन से है जिसे नयी वस्तुओं के उत्पादन के लिए कच्ची सामग्री में एक प्रक्रिया के माध्यम से परिवर्तित किया जा सके और जो मूल उत्पाद के समान हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। |
| रसोई घर का अपशिष्ट जिसमें चाय की पत्ती, अण्डे के छिलके, फल और सब्जियों के छिलके शामिल हैं।                                               | समाचार-पत्र, कागज, पुस्तकें, पत्रिकायें शीशा, धातु के पदार्थ और तार प्लास्टिक फटे कपड़े चमड़ा रेक्सिन रबर लकड़ी/फर्नीचर पैकिंग के सामान एवं अन्य इसी प्रकार के अन्य इसी कोटि के अपशिष्ट।                                                                  |
| मांस और हड्डियाँ उद्यान व पत्तियों का कूड़ा करकट जिसमें फूल भी हैं।                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                           |
| पशुओं का कूड़ा करकट गोबर सफाई के बाद घर की गंदगी नारियल के छिलके राख अन्य इसी कोटि के अपशिष्ट।                                           |                                                                                                                                                                                                                                                           |

### अनुसूची-3

#### जैव चिकित्सीय अपशिष्ट की सूची

##### जैव चिकित्सीय अपशिष्ट—

जैव चिकित्सीय अपशिष्ट का तात्पर्य ऐसे अपशिष्ट से है जो मनुष्यों या पशुओं के निदान या बेहोशी के दौरान या उनके सम्बन्धी शोध कार्यों के दौरान या जीव विज्ञान के उत्पादन या परीक्षण के दौरान उत्पन्न होता है।

1— धारदार अपशिष्ट— सुईयाँ, सिरींज, छुरिया, ब्लेड, शीशा इत्यादि जिनसे छेद या कटाव हो सकता है इसमें प्रयुक्त धारदार दोनों हैं।

2— बेकार दवाइयाँ और साइटोटाक्सिक औषधियाँ— अवसान तिथि के बाद की दूषित और बेकार दवाइयों के अपशिष्ट

3— ठोस अपशिष्ट— रक्त और शरीर द्रव से दूषित सामग्री जिनमें रूई, पट्टी, प्लास्टर पट्टी, कपड़े की पट्टी, बिस्तर, चादर और रक्त से दूषित सामग्री।

## अनुसूची-4

आवासीय/अनावसीय भवनों के परिसर का कूड़ा उठाने के लिए प्रस्तावित प्रयोक्ता शुल्क/यूजर चार्ज

| आवासीय                         | विवरण                                                                                                                                                              | दूर/प्रतिमाह         |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 1                              | 2                                                                                                                                                                  | 3                    |
|                                |                                                                                                                                                                    | रुपये                |
| श्रेणी क                       | 200 वर्ग मी0 क्षेत्रफल तक आवासीय ईकाई                                                                                                                              | रु0 50/- प्रतिमाह    |
| श्रेणी ख                       | 200 वर्ग मी0 से अधिक क्षेत्रफल वाली आवासीय ईकाई                                                                                                                    | रु0 100/- प्रतिमाह   |
| श्रेणी ग                       | हाउसिंग सोसाइटी अपार्टमेंट प्रति फ्लैट                                                                                                                             | रु0 40/- प्रतिमाह    |
| श्रेणी घ                       | यात्री धर्मशालायें/धर्मशाला                                                                                                                                        | रु0 30/- प्रतिमाह    |
| <b>अनावसीय/व्यवसायिक विवरण</b> |                                                                                                                                                                    |                      |
| श्रेणी क                       | 200 वर्ग फीट क्षेत्रफल तक की दुकान                                                                                                                                 | रु0 100/- प्रतिमाह   |
| श्रेणी ख                       | 200 वर्ग फीट से अधिक क्षेत्रफल तक की दुकान                                                                                                                         | रु0 150/- प्रतिमाह   |
| श्रेणी ग                       | (1) पब्लिक स्कूल तथा कोचिंग सेंटर 100 छात्र एवं छात्राओं तक पब्लिक स्कूल                                                                                           | रु0 150/- प्रतिमाह   |
|                                | (2) कोचिंग सेंटर 101 से 500 छात्र एवं छात्रायें                                                                                                                    | रु0 300/- प्रतिमाह   |
|                                | (3) पब्लिक स्कूल, कोचिंग सेंटर 501 से ज्यादा छात्र एवं छात्रायें                                                                                                   | रु0 500/- प्रतिमाह   |
| श्रेणी घ                       | इंजीनियरिंग कालेज, मैडिकल कालेज, मैनेजमेंट कालेज एवं प्राइवेट स्नातक/स्नातकोत्तर कालेज, सेंटर शॉपिंग कम ऑफिस कॉम्प्लेक्स प्राइवेट शिक्षण संस्थाएँ, प्राइवेट हॉस्टल | रु0 500/- प्रतिमाह   |
| श्रेणी ड                       | बैंक कार्यालय, एल0आई0सी0 कार्यालय आदि एवं गेस्ट हाउस तथा होटल 10 कमरों तक, रेस्टोरेन्ट (सरकारी को छोड़कर)                                                          | रु0 500/- प्रतिमाह   |
| श्रेणी च                       | मैरिज होम, माल्स, बैक्विट हाल, क्लब, सिनेमा हॉल होटल 10 कमरों से अधिक।                                                                                             | रु0 2,000/- प्रतिमाह |
| श्रेणी छ                       | प्राइवेट हॉस्टिल, नर्सिंग होम (20 बेड तक)                                                                                                                          | रु0 1,500/- प्रतिमाह |
| श्रेणी ज                       | प्राइवेट हॉस्टिल, नर्सिंग होम (20 बेड से अधिक)                                                                                                                     | रु0 2,500/- प्रतिमाह |
| श्रेणी झ                       | पैथोलॉजी लैब                                                                                                                                                       | रु0 500/- प्रतिमाह   |
| श्रेणी ञ                       | क्लीनिक                                                                                                                                                            | रु0 300/- प्रतिमाह   |
| श्रेणी ट                       | दवाईयों की दुकान                                                                                                                                                   | रु0 500/- प्रतिमाह   |

| 1        | 2                                                                                                                   | 3                                                           |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|          |                                                                                                                     | रूपये                                                       |
| श्रेणी ठ | रिटेल चैन्स (जैसे बिग बाजार, विशाल, मैट्रो बाजार आदि)                                                               | रु० 5,000/- प्रतिमाह                                        |
| श्रेणी ड | रोड साईट वेन्डर (वेन्डर जोन सहित)                                                                                   | रु० 10/- प्रतिमाह                                           |
| श्रेणी ढ | रोड साईड फास्ट फूड कार्नर, चाय/जूस की दुकान व चाट हाऊस आदि।                                                         | रु० 50/- प्रतिमाह                                           |
| श्रेणी ण | गोदाम एवं वेयरहाउस 1001 वर्ग फीट से 5,000 वर्ग फीट तक (सरकारी को छोड़कर)                                            | रु० 2,000/- प्रतिमाह                                        |
| श्रेणी त | गोदाम एवं वेयरहाउस 5,000 वर्ग फीट से अधिक (सरकारी को छोड़कर)                                                        | रु० 5,000/- प्रतिमाह                                        |
| श्रेणी थ | शराब की दुकानें                                                                                                     | रु० 1,000/- प्रतिमाह                                        |
| श्रेणी द | हाट, मार्केट, साप्ताहिक बाजार                                                                                       | रु० 25/- प्रतिमाह                                           |
| श्रेणी ध | शोरूम, सर्विस सेन्टर व छोटे गैराज                                                                                   | रु० 1,000/- प्रतिमाह                                        |
| श्रेणी न | प्रदर्शनी ग्राउण्ड, मेला (सरकारी को छोड़कर)                                                                         | रु० 500/- प्रतिमाह                                          |
| श्रेणी प | छोटे और कुटीर उद्योग कार्यशालाएं (केवल गैर खतरनाक / प्रदूषक) प्रतिदिन 10 किग्रा० तक अपशिष्ट                         | रु० 1,000/- प्रतिमाह                                        |
| श्रेणी फ | प्रिंटिंग प्रेस                                                                                                     | रु० 500/- प्रतिमाह                                          |
| श्रेणी ब | पेट्रोल पम्प                                                                                                        | रु० 2,000/- प्रतिमाह                                        |
| श्रेणी भ | ऐसे भवन जिनमें पालतू पशु (यथा—भैंस, गाय, भेड़, बकरी, सुअर, आदि) पाल रखें हो, जिनका व्यावसायिक उपयोग न किया जाता हो। | रु० 500/- प्रतिमाह<br>निर्धारित शुल्क के अतिरिक्त देय होगा। |
| श्रेणी म | अन्य जो उपरोक्त छूट गया हो।                                                                                         | जो नगर पालिका परिषद द्वारा निर्धारित किया जाये।             |

### नोट —

1— प्रयोक्ता शुल्क भुगतान न करने की दशा में अधिशासी अधिकारी या उनके मा० अध्यक्ष को इन उपविधियों में वर्णित की गयी दरों के अनुसार दे धनराशि के अतिरिक्त उसका 20 गुना तक शमन शुल्क (कम्पाउन्डिंग फीस) वसूल करने का अधिकार होगा।

2— यदि कोई उपभोक्ता एक वर्ष का प्रयोक्ता शुल्क अग्रिम (एडवांस) जमा करता है तो वह 01 माह के प्रयोक्ता शुल्क की छूट प्राप्त करने का अधिकारी होगा।

3— विधवा/बेसहारा महिला एकल रूप से (50 वर्ग गज मकान में स्वयं निवास करती हो) प्रयोक्ता शुल्क से मुक्त रखा जायेगा, जिसका प्रमाण-पत्र प्रत्येक वर्ष नगर पालिका परिषद से प्राप्त करना होगा। यदि भवन अथवा भवन का आंशिक भाग किराये पर दिया गया है तो वह भवन स्वामी छूट प्राप्त करने हेतु पात्र नहीं होगा।

4— वह वरिष्ठ नागरिक जो आर्थिक रूप से कमजोर हो तथा 100 वर्ग गज तक के मकान में निवास करते हों, एवं शारीरिक अथवा मानसिक रूप से अस्वस्थ हो एवं उनके साथ वृद्ध पत्नी के अतिरिक्त अन्य कोई परिवारजन अथवा अन्य सहायक आवासित न हो उनको प्रयोक्ता शुल्क से मुक्त रखा जायेगा। परन्तु ऐसे वरिष्ठ नागरिक को नगर पालिका परिषद रामपुर से इस सम्बन्ध में प्रमाण-पत्र प्राप्त करना होगा तथा प्रतिवर्ष उसका नवीनीकरण कराना होगा।

5— जैव चिकित्सा अपशिष्ट उपरोक्त अनुसूची-4 की सीमा में नहीं आयेंगे। इनका निस्तारण जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबन्धन नियम-2016 के अन्तर्गत होगा।

6— प्रयोक्ता शुल्क अनुसूची-4 में वार्षिक शुल्क प्रत्येक 2 वर्ष में पालिका द्वारा पुनरीक्षित की जा सकेगी। पुनरीक्षण का अधिकार अधिशासी नगर पालिका परिषद रामपुर में निहित होगा। उपरोक्त उपविधि में पुनरीक्षण के पश्चात् शुल्क में की गयी वृद्धि किसी भी दशा में 10 प्रतिशत से कम नहीं होगी।

अध्यक्ष,  
नगर पालिका परिषद्,  
रामपुर

## कार्यालय, नगर पंचायत जहांगीरगंज, जनपद—अम्बेडकरनगर

### भवन निर्माण हेतु उपनियमावली

20 अगस्त, 2025 ई०

सं० 731/न०प०जहा०/2025-26—उत्तर प्रदेश नगर पालिका ऐक्ट सन् 1916 (यू०पी० ऐक्ट सं०—02 सन् 1916 की यथा प्रशारित धाराएं-178 तथा 186 तथा धारा 298 व 299 के अधीन अधिकार का प्रयोग करके अध्यक्ष/अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत-जहांगीरगंज, तहसील-आलापुर, जनपद-अम्बेडकरनगर के सीमा में समस्त भवनों के निर्माण हेतु निमावली बनाती है इस निमावली के उक्त धारा के अन्तर्गत अपत्तियों एवं सुझाव आमंत्रित करने हेतु विज्ञापन का प्रकाशन कराया जा चुका है। तत्क्रम में नगर पंचायत जहांगीरगंज द्वारा बोर्ड बैठक दिनांक 16 अप्रैल 2025 के प्रस्ताव संख्या 04(3) द्वारा सर्वसम्मत से स्वीकृत किया गया है तत्क्रम में दैनिक समाचार-पत्र दैनिक जागरण 31 मई 2025 एवं सप्तरत्न समाचार-पत्र में 31 मई 2025 को प्रकाशित कराकर 30 दिवस के अन्दर आपत्ति एवं सुझाव आमंत्रित किया गया निर्धारित समयावधि 30 दिन के अन्दर कोई भी आपत्ति एवं सुझाव प्राप्त नहीं हुआ निम्नवत उपविधि को गजट में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी माना जायेगा। नियमावली निम्नलिखित है।

1. भवन की परिभाषा वही है जो उत्तर प्रदेश नगर पालिका ऐक्ट सन् 1916 में अंकित है।
2. सार्वजनिक स्थान का तात्पर्य उन स्थानों से है जो धारा-116 नगर पालिका ऐक्ट-1916 के अन्तर्गत विज्ञप्ति संख्या-4200 टी० 111—34 टी (74)/60 दिनांक 14—02—62 नगर पंचायत में निहित हो चुकी है।
3. टाउन एरिया क्षेत्र के अन्दर कोई व्यक्ति बिना नियमानुसार नक्शा स्वीकृत कराये किसी भवन का निर्माण अथवा मरम्मत या पुनः निर्माण नहीं करा सकता है।

(क) मानचित्र किसी अर्हता प्राप्त तकनीकी अभियन्ता व्यक्ति द्वारा बनाया जायेगा जिसका पद नाम मुहर सहित मानचित्र पर रहना आवश्यक होगा।

(ख) मानचित्र में गली तथा सेड बैंक आदि नितान्त आवश्यक होगा।

(ग) पी०डब्लू०डी० को सड़क के मध्य से 220 फीट छोड़कर मानचित्र तैयार होगा, तथा नगर पंचायत सड़क नाली से 3 फीट छोड़कर मानचित्र तैयार किया जायेगा ऐसे मानचित्र की स्वीकृति नियमानुसार की जायेगी।

(घ) मानचित्र स्वीकृति करते समय अगल-बगल के लोगों की सुख-सुविधा देखा जायेगा अगर कोई आपत्ति होती है तो उस पर पूर्ववत् विचार करने के बाद ही स्वीकृति पर विचार किया जायेगा।

(ङ) अगर एक मंजिला भवन का मानचित्र स्वीकृत होगा तो केवल उतना ही मान्य होगा दूसरे मंजिल हेतु पुनः स्वीकृति लेना आवश्यक होगा।

4— भवन के निर्माण हेतु प्रार्थना-पत्र के साथ तीन प्रतिया नक्शे की जो पैमाने पर बनी हो और जिनमें समस्त कमरों इत्यादि व जंगला रोशनदान दरवाजा व बरामदा व जीना व छज्जा के निकास शौचालय व पाखाना इत्यादि के पृथक-पृथक लम्बाई, चौड़ाई व ऊँचाई अंकित हो और वह मोमी कपड़े पर बनाये गये हों प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है, उसके साथ-साथ यह भी लिखा जाना अनिवार्य है कि भवन पक्का निर्माण के चारों ओर चौहद्दी वाले भवनों जमीन या सड़क इत्यादि का पूरा-पूरा ब्यौरा होना आवश्यक है।

5. उक्त प्रार्थना पत्र के साथ इसका प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक है कि प्रार्थी उक्त भूमि का स्वामी है और भवन उसी का है और उसका निर्माण कराने का अधिकार प्राप्त है और निर्माण कार्य उसके पुराने सीमा के अन्दर है।

6— प्रार्थना-पत्र प्राप्त होने पर नगर पंचायत द्वारा चौहद्दी के निवासियों यदि कोई आपत्ति हो उसके दस दिन में प्रस्तुत करने की सूचना दी जायेगी। इसका निस्तारण करके उक्त नक्शा त्रुटियों को दुरुस्त करने हेतु प्रार्थी को वापस कर दे या उनको अस्वीकार कर दे और उनकी सूचना प्रार्थी को दे दें।

7— नक्शा स्वीकृत होने पर भवन के निर्माण की जो मीयाद हो तब तक हो सकती है और भवन का निर्माण स्वीकृत नक्शे के अनुसार होगा।

8— नक्शे की जांच कमेटी अपने नियुक्त किये हुये अधिकारी द्वारा करायेगी जिसका शुल्क पांच, रुपया 05.00 प्रति वर्ग फीट की दर से निर्माण शुल्क होगा परन्तु हर हालत में चाहे भवन का क्षेत्रफल जो हो 250/ दो सौ पच्चास रुपया से कम नहीं होगा, और इससे अधिक हो जायेगा वह कमेटी कोष में जमा होना अनिवार्य है।

9— यदि कोई नक्शा धोखे से या गलत ब्यौरा व सूचना पर स्वीकृत करा लिया गया होगा तो जब कमेटी को इसकी सूचना मिले तो कमेटी स्वीकृत के तिथि से 6 महीना के अन्दर उक्त नक्शे को धारा-180 (6) नगर पालिका ऐक्ट के अधीन निरस्त कर सकती है।

10— कोई प्रेक्षागृह या अन्य खेल तमाशे का गृह धारा-180 (अ) नगर पालिका ऐक्ट के प्राविधान के विरुद्ध निर्माण नहीं किया जा सकता।

11— भवन निर्माण में कम से कम हवा व रोशनी व धूप के लिए कुल क्षेत्रफल का 10 प्रतिशत आंगन छत या बाहरी बरामदा या चबूतरा के रूप में खुला रखना अनिवार्य होगा और दो भवनों के बीच कम से कम 3 फीट स्थान छोड़कर बनाना होगा और सार्वजनिक सड़क चौड़ाई के बीच कम से कम 6 फीट स्थान छोड़कर दीवार बनाना होगा।

12— भवन यदि सार्वजनिक सड़क या स्थान के निकट है तो भवन के ऊपरी भाग में 2 ये 3 फीट चौड़ा छाजन (Balconi) रखना होगा और निचले भाग में यदि नगर पंचायत की सार्वजनिक नाला (Drain) को ढकना चाहे तो बिना लिखित स्वीकृति के नाली ढकी नहीं जा सकती और यदि पानी के बहाव में कोई बाधा न पड़े।

13— स्वीकृति नक्शे के विरुद्ध निर्माण कराने अथवा बिना स्वीकृति नक्शे के निर्माण कराने का अभियोग चलाने का अधिकार चेयरमैन व अधिशाषी अधिकारी नगर पंचायत जहांगीरगंज अम्बेडकरनगर को प्राप्त है।

14— उपविधि उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध धारा 185 नगर पालिका एक्ट के अन्तर्गत नगर पंचायत अध्यक्ष तथा अधिशाषी अधिकारी द्वारा अभियोग उचित न्यायालय में प्रस्तुत करने होगी और न्यायालय द्वारा उक्त निर्माण अवैधानिक सिद्ध होने पर 5000/ रूपया तक अर्थ-दण्ड दिया जा सकता है जो किसी भी दण्ड 250/ रूपया से कम नहीं होगी।

15— धारा-185 नगर पालिका एक्ट, 1916 के प्राविधानों के अन्तर्गत निर्माण अवैधानिक सिद्ध हो जावे तो नगर पंचायत कमेटी को अधिकार है कि उक्त अवैधानिक निर्माण धारा-186 नगर पालिका एक्ट, 1916-क अन्तर्गत कमेटी द्वारा उक्त निर्माण को रोका जा सकात है और अवैधानिक निर्माण गिराया जा सकता है, परन्तु ऐसा करने के लिए उक्त निर्माणकर्ता को नोटिस देना आवश्यक है।

16— अवैधानिक निर्माण गिराने पर जो व्यय होगा वह उक्त निर्माणकर्ता से वसूल होगा।

17— धारा-181 (1) व 186 नगर पालिका एक्ट के अधीन आदेश की अपील 30 दिन के अन्दर जिला मजिस्ट्रेट या नियति प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की जा सकती है। और उनका आदेश जो धारा-318 नगर पालिका एक्ट के अन्तर्गत पारित होमा वह अन्तिम होगा।

18— निर्माण होते समय उक्त अधिकारी को जो जांच के लिए कमेटी नियुक्ति किया गया हो उसको नक्शे के अनुसार निर्माण होने के जांच अधिकार प्राप्त है। यदि निर्माण स्वीकृत नक्शे के अनुसार न होता हो वह अपनी रिपोर्ट तुरन्त कमेटी के समक्ष उचित कार्यवाही हेतु प्रस्तुत करेगा।

19— इस नियम के अन्तर्गत यदि किसी व्यक्ति को कोई क्षति पहुंचती है तो नगर पंचायत कमेटी उक्त क्षति या मुआवजा अदायेगी की जिम्मेदारी होगी।

टिप्पणी:— साधारण मरम्मत जिसमें—

अ. किसी प्रकार का भवन में हेर-फेर न हो तो उसके लिए नक्शा स्वीकृति कराने की आवश्यकता नहीं होगी। परन्तु सामान्य तौर से सूचित कर साधारण स्वीकृति प्राप्त करना होगा।

ब. धार्मिक भवनों जैसे मस्जिद, मंदिर, गिरजाघर, गुरुद्वारा, इत्यादि मरम्मत अथवा निर्माण हेतु नक्शे स्वीकृति अपर मजिस्ट्रेट द्वारा प्राप्त करना आवश्यक है।

स. यदि भवन निर्माण स्वामी द्वारा मात्र बाउन्ड्री वाल ही कराना चाहता है तो रु0 02/- प्रति वर्ग फीट शुल्क देय होगा।

### दण्ड

प्रसारित उत्तर प्रदेश नगर पालिका एक्ट की धारा-299 के अन्तर्गत नगर पंचायत कमेटी यह निर्धारित करती है कि उपरोक्त बाईलाज के किसी प्रकार के उल्लंघन करने पर जुर्माने का दण्ड दिया जा सकता है जो 5,000/ मात्र तक हो सकता है और यदि ऐसा उल्लंघन निरन्तर जारी रहे तो अतिरिक्त जुर्माना का दण्ड दिया जाएगा जो पहला दोष सिद्ध होने के दिनांक के बाद प्रत्येक ऐसे दिन के लिए जिसके बारे में यह सिद्ध हो जाय कि उसमें अपराधी अपराध करता रहा हो तो 25/ रूपया प्रतिदिन तक हो सकता है।

ह0 (अस्पष्ट),  
अधिशाषी अधिकारी,  
नगर पंचायत, जहांगीरगंज,  
अम्बेडकरनगर।

## कार्यालय, नगर पंचायत जोया, जनपद अमरोहा

### विविध कर उपविधि

19 अगस्त, 2025 ई0

183/न0पं0जोया/उपविधि/2025—उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916 की धारा-298 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नगर पंचायत जोया द्वारा विविध कर (शुल्क) नियमावली, 2025 उपविधि नगर पंचायत जोया जनपद अमरोहा द्वारा नगर पंचायत की सीमा के अन्तर्गत विविध कर (शुल्क) उपविधि नियमावली, 2025 प्रस्तावित करते हुए उपरोक्त नियमावली की धारा-301 के अन्तर्गत प्रकाशन के पश्चात् उसके किसी बिन्दु या सभी बिन्दुओं पर किसी व्यक्ति/समूह को आपत्ति या सुझाव हो तो अपनी लिखित आपत्ति/सुझाव नगर पंचायत के कार्यालय में प्रकाशन की तिथि के 30 दिन के अन्दर प्राप्त करा सकता है। तत्क्रम में नगर पंचायत जोया द्वारा बोर्ड की बैठक दिनांक 24 दिसम्बर 2024 प्रस्ताव संख्या-01 द्वारा सर्वसम्मति से स्वीकृत किया गया है, जिसका प्रकाशन दैनिक शाह टाइम्स एंव दैनिक विधान कैसरी समाचार-पत्र दिनांक 04 फरवरी, 2025 के अंक में प्रकाशित कराकर 30 दिवस के अन्दर आपत्ति एवं सुझाव आमन्त्रित किये गये, निर्धारित समयावधि के अन्दर कोई भी आपत्ति एवं सुझाव प्राप्त नहीं हुए। बोर्ड की बैठक दिनांक 18 मार्च 2025 के प्रस्ताव संख्या-04 के द्वारा उपरोक्त उपविधि को उसी रूप में सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी है निम्नवत उपविधि को गजट में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी माना जायेगा—

### ‘विविधकर (शुल्क) उपविधि नियमावली 2025’

उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916 की धारा-298 जो नगर पंचायत पर प्रवृत्त है के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये नगर पंचायत जोया, अमरोहा में यह उपविधि ‘विविधकर (शुल्क) उपविधि नियमावली 2025’ कहलायेगी, जिसका विवरण निम्नानुसार है—

#### 1— संक्षिप्त नाम प्रसार एवं प्रारम्भ—

- (1) यह उपविधि ‘विविधकर (शुल्क) उपविधि नियमावली 2025’ कहलायेगी।
- (2) यह नगर पंचायत जोया की सीमा में प्रवृत्त होगी।
- (3) यह उपविधि उत्तर प्रदेश राजपत्र में प्रकाशन होने के दिनांक से नगर पंचायत जोया में प्रभावी होगी।

#### 2— परिभाषायें—

- (01) “ अधिनियम” का तात्पर्य उत्तर प्रदेश नगर पंचायत अधिनियम 1916 से है।
- (02) “अध्यक्ष/अधिशाली अधिकारी” का तात्पर्य नगर पंचायत जोया के अध्यक्ष/अधिशाली अधिकारी से है।
- (03) नगर पंचायत का तात्पर्य नगर पंचायत जोया से है।
- (04) बोर्ड से तात्पर्य नगर पंचायत जोया बोर्ड जनपद अमरोहा से है।

#### 3— विविधकर (शुल्क) की दरें—

1—कर निर्धारण नकल जनरल शुल्क रू0 500.00 प्रति नकल व तत्काल नकल शुल्क रू0 150.00 प्रति नकल।

2—दाखिल खारिज शुल्क 1,000/— बजट शुल्क सहित।

3—जन्म व मृत्यु प्रमाण पत्र की द्वितीय व तृतीय प्रति हेतु क्रमशः शुल्क रू0 50—100 प्रति प्रमाण पत्र होगा।

4—पानी का टैंकर शुल्क ( नगर पंचायत सीमा में घरेलू/सार्वजनिक कार्य हेतु ) शुल्क रू0 500.00 व कन्या विवाह में मात्र रू 300.00 प्रति टैंकर प्रति चक्कर, (03 घण्टे हेतु ) वाहन सहित तथा बाहर के लिये टैंकर शुल्क रू 800/— प्रति टैंकर।

5—पानी का टैंकर शुल्क (नगर पंचायत सीमा में व्यवसायिक कार्य हेतु) शुल्क रू0 700 प्रति टैंकर/प्रति चक्कर।

6—पानी का नया कनेक्शन शुल्क रू0 1,000/— प्रति कनेक्शन।

7—पानी का कनेक्शन अन्य नाम पर ट्रान्सफर करने का शुल्क रू0 500/—प्रति कनेक्शन।

8—सीवर सेक्शन मशीन (टैंक सीवर आदि साफ) करने हेतु शुल्क रू0 1,500.00 नगर सीमा के अन्तर्गत व शुल्क रू 2000.00 नगर सीमा के बाहर।

9—मोबाइल ट्वायलेट किराया शुल्क रू0 1,000.00 प्रतिदिन (08 घण्टे) नगर सीमा के अन्तर्गत व शुल्क रू 2000.00 प्रतिदिन (08 घण्टे) नगर सीमा के बाहर वाहन छोड़कर।

10—शौचालय ना बना होने पर जुर्माना शुल्क रू0 5,000.00 देय होगा।

11—भवन स्वामियों द्वारा जल की टॉटी खुली पाये जाने पर जुर्माना रू0 200.00 प्रति प्रकरण।

12—भवन स्वामियों द्वारा जल की टॉटी खुली पाये जाने की पुनरावृत्ति करने पर जुर्माना रू0 500.00 प्रति प्रकरण।

13—नगर पंचायत सीमा में स्थित पेट्रोल पम्प पर व्यवसायिक शुल्क रू0 5,000.00 प्रति वर्ष।

14—नगर पंचायत सीमा में स्थित कोचिंग संस्थानों पर व्यवसायिक शुल्क रू0 3,500.00 प्रति वर्ष।

15—नगर पंचायत सीमा में स्थित गेस्ट हाउस/अतिथि गृह पर व्यवसायिक शुल्क रू0 3,000.00 प्रति वर्ष।

16—नगर पंचायत सीमा में स्थित रेस्टोरेन्ट/ढाबा/होटल पर व्यवसायिक शुल्क रू0 1,000.00 प्रति वर्ष।

17—नगर पंचायत सीमा में ई— रिक्शा/गाडी लाइसेंस शुल्क रू0 200.00 प्रति वर्ष।

18—नगर पंचायत सीमा में स्थित मोबाईल टावरों/अन्य प्रकार के टावरों पर व्यवसायिक शुल्क रू0 10,000.00 प्रति वर्ष।

19—स्वान पंजीकरण शुल्क 100.00 प्रति स्वान प्रति वर्ष।

20—नगर पंचायत सीमा में स्थित व्यवसाय करने वाले छोटे दुकानदारों अर्थात 100 वर्ग फुट क्षेत्रफल या उससे कम कवर्ड एरिया से व्यवसायिक शुल्क रू0 300.00 प्रति वर्ष।

21—नगर पंचायत सीमा में स्थित व्यवसाय करने वाले बड़े दुकानदारों अर्थात 100 वर्ग फुट क्षेत्रफल के लिए शुल्क रू 300.00 प्रति वर्ष, 101 से 200 वर्ग फुट क्षेत्रफल के लिए शुल्क रू0 450.00 प्रति वर्ष और 200 वर्ग फुट से अधिक के लिए व्यवसायिक शुल्क रू0 600.00 प्रति वर्ष।

22—छोटी बाउण्ड्री युक्त या मकानों के मध्य खाली भू-खण्ड पर पड़ोसियों के द्वारा कूड़ा फेंकने को दृष्टिगत रखते हुये उनके द्वारा अपने खाली भू-खण्ड व छोटी बाउण्ड्रीवाल पर न्यूनतम 02 मी0 ऊर्ची बाउण्ड्रीवाल निर्मित न कराने पर पैनाल्टी शुल्क रू0 200.00 प्रति प्रकरण।

23—नगर पंचायत सीमा में संचालित बैंको पर व्यवसायिक शुल्क रू0 5,000.00 प्रति वर्ष।

**4. कांजी हाउस/अनापत्ति प्रमाण-पत्र—**

- 1—कांजी हाउस में रखे जाने वाले छोटे जानवर की खुराकी शुल्क रु० 50.00 प्रतिदिन प्रति जानवर।
- 2—कांजी हाउस में रखे जाने वाले बड़े जानवर की खुराकी शुल्क रु० 100.00 प्रतिदिन प्रति जानवर।
- 3—गाय/भैंस/सुअर आदि सभी प्रकार के पालतू जानवरों को खुला छोड़ने पर पकड़े जाने पर जुर्माना शुल्क रु० 300.00 प्रति प्रकरण प्रतिदिन।
- 4—नगर पंचायत सीमा में स्थित आटा चक्की/धान कुटाई चक्की/स्पेलर/रुई धुनाई मशीन पर व्यावसायिक शुल्क रु० 200.00 प्रति वर्ष।
- 5—नगर पंचायत सीमा में भैंस/बकरा व अन्य प्रकार मीट की दुकान हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी करने की फीस 5000.00 प्रति प्रकरण।

**5. नर्सिंग होम/क्लीनिक—**

1. नर्सिंग होम 10 बेड तक व्यवसायिक शुल्क रु० 5,000.00 प्रति वर्ष।
2. नर्सिंग होम 10 बेड से 20 बेड तक शुल्क 10,000.00 प्रति वर्ष।
3. नर्सिंग होम 20 बेड से अधिक पर व्यवसायिक शुल्क रु० 15,000.00 प्रति वर्ष।
4. प्रसूति गृह 20 बेड तक शुल्क 5000.00 प्रति वर्ष।
5. प्रसूति गृह 20 बेड से ऊपर शुल्क 10,000.00 प्रति वर्ष।
6. पैथोलॉजी केयर सेंटर शुल्क 5000.00 प्रति वर्ष।
7. एक्स-रे सेंटर शुल्क 5,000.00 प्रति वर्ष।
8. डेन्टल क्लीनिक शुल्क 4,000.00 प्रति वर्ष।
9. प्राईवेट क्लीनिक शुल्क 5,000.00 प्रति वर्ष।

**6. स्कूल/कालेज—**

1. नगर पंचायत सीमा में संचालित पीजी स्वामित्व के स्कूल/कॉलेज पर व्यवसायिक शुल्क निम्न प्रकार से हैं।
2. प्लेग्रुप से कक्षा 8 तक शुल्क रु० 1,500.00 प्रति वर्ष।
3. 9 से कक्षा 12 तक शुल्क रु० 2,000.00 प्रति वर्ष।
- 4- डिग्री कॉलेज पर शुल्क रु० 3,000.00 प्रति वर्ष।

उत्तर प्रदेश शासन नगर विकास अनुभाग-9, शासनादेश संख्या 406/नौ-9-1997-95ज/96, दिनांक 10 फरवरी, 1997 के अनुपालन में नगर पंचायत अधिनियम 1916 की धारा-298 के अन्तर्गत कर प्रस्तावित है।

**7- परिवहन—**

1. ऑटो रिक्शा 3 सीटर शुल्क रु० 1,000.00 प्रति वर्ष।
2. ऑटो रिक्शा 4 सीटर शुल्क रु० 1,500.00 प्रति वर्ष।
3. ऑटो रिक्शा 7 सीटर शुल्क रु० 2,500.00 प्रति वर्ष।

4. मिनीबस शुल्क रु 3,000.00 प्रति वर्ष।
5. बस शुल्क रु 5,000.00 प्रति वर्ष।
6. तांगा शुल्क रु 200.00 प्रति वर्ष।
7. रिक्शा किराये पर शुल्क रु 250.00 प्रति वर्ष।
8. रिक्शा (निजी) शुल्क रु 100.00 प्रति वर्ष।
9. टेला/ठेली शुल्क रु 200.00 प्रति वर्ष।
10. हाथ टेला शुल्क रु 100.00 प्रति वर्ष।
11. बैलगाडी/भैसा गाडी शुल्क रु 100.00 प्रति वर्ष।
12. ट्रॉली शुल्क रु 500.00 प्रति वर्ष।

#### 8—लाइसेंस शुल्क:—

(1) उपरोक्त उपविधि के अन्तर्गत जारी किये गये प्रत्येक लाइसेंस की निम्न फीस होगी:—

1. होटल तथा रेस्टोरेंट जहाँ ठहरने की व्यवस्था हो, का शुल्क रु 5,000.00 प्रति वर्ष।
2. होटल का शुल्क रु 2,500.00 प्रति वर्ष।
3. फेरी वाले तथा विक्रेता का शुल्क रु 300.00 प्रति वर्ष।
4. सब्जी का फड लगाकर सब्जी बेचने वाले का शुल्क रु 500.00 प्रति वर्ष।
5. मुर्गा/मछली/बकरा/सुअर का मीट बेचने वाले का शुल्क रु 5,000.00 प्रति वर्ष।
6. सार्वजनिक कार्यों हेतु नगर पंचायत के बारात-घर का शुल्क रु 7,000.00 प्रतिदिन।

#### 9— लाइसेंस फीस निम्न प्रकार ली जायेगी:—

1. धान मिल शुल्क रु 1,000 प्रति वर्ष।
2. तेल मिल शुल्क रु 500.00 प्रति वर्ष।
3. दाल मिल शुल्क रु 500.00 प्रति वर्ष।
4. कोल्ड स्टोरेज शुल्क रु 500.00 प्रति वर्ष।
5. आईस फैक्ट्री शुल्क रु 500.00 प्रति वर्ष।
6. आईस कैंडी शुल्क रु 500.00 प्रति वर्ष।
7. आरा मशीन शुल्क रु 500.00 प्रति वर्ष।
8. खराद मशीन शुल्क रु 500.00 प्रति वर्ष।
9. अन्य मशीन शुल्क रु 500.00 प्रति वर्ष।
10. नुमाईस/सर्कस/मेला आदि का शुल्क रु 2,000.00 प्रतिदिन।

**10— अनुसूची—**

1. साइकिल द्वारा हर प्रकार के माल की बिक्री एवं प्रचार पर प्रति वाहन शुल्क रू० 10.00 प्रतिदिन।
2. रिक्शा द्वारा हर प्रकार के माल की बिक्री एवं प्रचार पर प्रति वाहन शुल्क रू० 50.00 प्रतिदिन।
3. इक्का, तांगा, बुग्गी द्वारा हर प्रकार के माल की बिक्री एवं प्रचार पर प्रति जानवर शुल्क रू० 10.00 प्रतिदिन।
4. हाथी, घोड़ा, खच्चर, ऊँट द्वारा हर प्रकार के माल की बिक्री एवं प्रचार पर प्रति जानवर शुल्क रू० 20.00 प्रतिदिन।
5. बैलगाड़ी, भैंसागाड़ी, ऊँटगाड़ी तांगागाड़ी द्वारा हर प्रकार के माल की बिक्री एवं प्रचार पर प्रति वाहन शुल्क रू 50.00 प्रतिदिन।
6. हाथ ठेला द्वारा हर प्रकार के माल की बिक्री एवं प्रचार पर प्रति ठेला शुल्क रू० 20.00 प्रतिदिन।
7. बड़े फड लगाकर सब्जी एवं लकड़ी आदि की नीलामी करने वाली प्रति आढत पर प्रति आढत शुल्क रू० 50.00 प्रतिदिन।
8. फुटकर सब्जी एवं अन्य सामग्री प्रति दुकानदार शुल्क रू० 20.00 प्रतिदिन।
9. छोटे सब्जी विक्रेता को जो सड़क पटरी बाजारों में तख्त व गली कूचों में टोकरी रखकर प्रति तख्त/टोकरी शुल्क रू० 10.00 प्रतिदिन।
10. नाई, मोची, खोमचा अथवा घुमकर बिक्री करने वाला खोमचा पर प्रति खोमचा शुल्क रू० 10.00 प्रतिदिन।
11. लकड़ी आदि का खोखा रखकर या स्थान घेरकर किराये पर दुकानों/स्टाल आदि लगाने, फर्नीचर बनाने, बेचने, निर्माण सामग्री बेचने आदि पर की गयी खरीद फरोक्त आदि व्यवस्था पर प्रति अस्थायी दुकानदार शुल्क रू 50.00 प्रतिदिन व स्थायी दुकानदार शुल्क रू० 100.00 प्रतिदिन।
12. दुकानदार जो अपनी दुकान के सामने सुविधा अथवा प्रचार के उद्देश्य से तख्त या फर्नीचर डालने अथवा सामान रखने पर प्रति दुकानदार शुल्क रू० 100.00 प्रतिदिन।
13. ट्रक या बस द्वारा इस प्रकार की बिक्री व प्रचार पर प्रति वाहन शुल्क रू० 100.00 प्रतिदिन।
14. टैक्टर ट्राली, पब्लिक कैरियर द्वारा इस प्रकार की बिक्री व प्रचार पर प्रति वाहन शुल्क रू० 100.00 प्रतिदिन।
15. टैम्पो, टैक्सी, मिनी बस आदि द्वारा इस प्रकार की बिक्री व प्रचार पर प्रति वाहन शुल्क रू० 100.00 प्रतिदिन।
16. सड़क के किनारे मुर्गा/मछली/बकरा/सुअर का मीट बेचने वालों पर शुल्क रू० 200.00 प्रतिदिन।

**11— ठेकेदारों/फर्मों का पंजीकरण—**

1. नगर पंचायत जोया में ठेकेदारों/फर्मों का पंजीकरण/नवीनीकरण की अवधि माह अप्रैल से होगी जो वित्तीय वर्ष की 31 मार्च को समाप्त समझी जायेगी।
2. ठेकेदारों/फर्मों का पंजीकरण शुल्क रू० 10,000.00 वार्षिक।
3. ठेकेदारों/फर्मों का नवीनीकरण शुल्क रू० 10000.00 वार्षिक।

4. बिल्डर्स रजिस्ट्रेशन शुल्क रू0 10,000.00 प्रतिवर्ष।

#### 12— ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन/स्वच्छ भारत मिशन/अतिक्रमण—

1. नाला/नाली/सार्वजनिक जगह पर गन्दगी फैलाने पर जुर्माना शुल्क रू 100.00 प्रति प्रकरण।
2. नाला/नाली/सार्वजनिक जगह पर गन्दगी फैलाने की पुनरावृत्ति करने पर जुर्माना शुल्क रू0 500.00 प्रति प्रकरण।
3. मरे हुये बड़े जानवर उठाने पर शुल्क रू0 1,000.00 प्रति प्रकरण।
4. मरे हुये छोटे जानवर उठाने पर शुल्क रू0 500.00 प्रति प्रकरण।
5. शादी विवाह में सफाई हेतु शुल्क रू0 1,000.00 (सामान्य) मैरिजहॉल, शुल्क रू 2,000.00 (लक्जरी) मैरिजहॉल प्रति प्रकरण।
6. चाट/फल के ढेले आदि पर डस्टवीन न होने पर जुर्माना शुल्क रू0 100.00 प्रति प्रकरण।
7. कुड़ा/कचरा जलाये जाने पर जुर्माना शुल्क रू0 5,000.00 प्रति प्रकरण।
8. सडक के किनारे मौरंग, बालू, ईट भवन सामग्री पाये जाने पर, नालियों के उपर अतिक्रमण, सडक के किनारे अवैध गुमटी खोखा इत्यादि व सडक के किनारे फुटपाथ पर दुकानों का सामान फैलाने पर जुर्माना शुल्क रू0 500.00 प्रति प्रकरण।
9. डोर-टू-डोर कूड़ा कलेक्शन के लिए नगर पंचायत जोया द्वारा अनुबन्धित संस्था हेतु यूजर चार्ज के रूप में घरेलू शुल्क रू0 30.00 प्रतिमाह एवं व्यवसायिक शुल्क रू0 150.00 प्रतिमाह प्रतिष्ठान तथा गेस्ट हाउस या बल्क वेस्ट जनरेटर शुल्क रू0 500.00 प्रति हाउस/प्रति बुकिंग।
10. नगर पंचायत सीमा में स्थित नाला, नाली, सडक व अन्य सार्वजनिक समपत्तियों पर अवैध कब्जा पाये जाने पर जुर्माना शुल्क रू0 500.00 प्रतिदिन प्रति व्यक्ति तथा पुनरावृत्ति की स्थिति में जुर्माना शुल्क रू0 10,000.00 प्रतिदिन प्रति व्यक्ति।
11. नगर पंचायत जोया की सीमान्तर्गत खुले में शौच करते हुए पाये जाने पर जुर्माना शुल्क रू0 500.00 प्रति व्यक्ति तथा पुनरावृत्ति पाये जाने पर जुर्माना शुल्क रू0 1,000.00 प्रति व्यक्ति।

#### 13—फाईनेन्स—

1. फाईनेन्स कम्पनी, चिट फण्ड शुल्क रू0 10,000.00 वार्षिक।
2. इनश्योरेंस कम्पनी शुल्क रू 10,000.00 वार्षिक।

#### 14—मदिरा/शराब—

1. देशी शराब की दुकान शुल्क रू0 10,000.00 वार्षिक।
2. विदेशी शराब की दुकान शुल्क रू0 15,000.00 वार्षिक।

(ह0) अस्पष्ट  
अध्यक्ष,  
नगर पंचायत, जोया,  
अमरोहा।

**सूचना**

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्री का सही नाम कृति तिवारी पुत्री श्री ब्रह्म प्रकाश है जो कि उसके शैक्षिक अभिलेख, जन्म प्रमाण पत्र में अंकित है। त्रुटिवश मेरी पुत्री के आधार कार्ड सं0-9622 7699 2513 में उसका नाम दिव्या तिवारी अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मेरी पुत्री को उसके सही नाम कृति तिवारी पुत्री श्री ब्रह्म प्रकाश के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतत् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

ब्रह्म प्रकाश  
पता-पुलिस चौकी के पास,  
ग्राम मानिकपुर मोहन,  
मानिकपुर बिसु, इटावा, उ0प्र0।

**सूचना**

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम केवला देवी (Kevala Devi) पत्नी स्व0 रामनयन यादव (Late Ramnayan Yadav) है जो मेरे मतदाता पहचान पत्र परिवार रजिस्टर की नकल पेंशन भुगतान आदेश व उपजिलाधिकारी की जांच आख्या में अंकित है। त्रुटिवश मेरे आधार संख्या 4486 2006 1671 में मेरा नाम केवली यादव पत्नी रामनयन यादव अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मेरा सही नाम केवला देवी (Kevala Devi) पत्नी स्व0 रामनयन यादव के नाम से जाना पहचाना जाये।

एतत् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

केवला देवी पत्नी स्व0 रामनयन यादव  
निवासी-चक लक्ष्मनदास, पोस्ट-गडैला,  
तह0 सदर, जिला-जौनपुर।

**सूचना**

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम सुमित सिंह पुत्र अमरनाथ सिंह है जो मेरे शैक्षिक अभिलेखों में अंकित है। त्रुटिवश मेरे आधार संख्या 6186 0754 9065 में मेरा नाम सागर सिंह चंदेल अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम सुमित सिंह पुत्र अमरनाथ सिंह के नाम से जाना पहचाना जाये।

एतत् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

सुमित सिंह पुत्र अमरनाथ सिंह  
निवासी-पालपट्टी  
जनपद-प्रयागराज, उ0प्र0।

**सूचना**

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम आयुष यादव (Ayush Yadav) पुत्र अजय कुमार यादव है जो कि उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरे पुत्र के आधार कार्ड सं0-2769 4494 4776 में उसका नाम नीरज यादव अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मेरे पुत्र को उसके सही नाम आयुष यादव (Ayush Yadav) पुत्र अजय कुमार यादव के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतत् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

अजय कुमार यादव  
पुत्र रामजीत यादव  
पता-निकरोजपुर, शम्भूगंज,  
जौनपुर, उ0प्र0।

**सूचना**

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्री का सही नाम सृष्टि मौर्या है जबकि आधार कार्ड सं0-3175 6520 1289 में साध्वी मौर्या अंकित हो गया है

जो कि गलत है। उसका सही एवं शुद्ध नाम सृष्टि मौर्या पुत्री अखिलेश कुमार मौर्या है। इसी नाम से उसे जाना व समझा जाये।

एतत् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई हैं।

श्रीमती आरती मौर्य  
पत्नी अखिलेश कुमार मौर्या,  
निवासिनी—नैका, झूसी, प्रयागराज।

### सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्री का सही नाम रिका पुत्री रामसागर है जो उसके शैक्षिक अभिलेख एवं आधार कार्ड में अंकित है। मैंने अपनी पुत्री का स्वास्थ्य ठीक न रहने के कारण अपने ज्योतिषाचार्य के अनुसार उसका नाम रिका से बदलकर टिकी रख लिया हूँ। भविष्य में मेरी पुत्री को उसके सही नाम टिकी पुत्री राम सागर के नाम से जाना व पहचाना जाये।

फूलमती पत्नी रामसागर,  
निवासी—झौहना, कल्याणपुर  
बलरामपुर, उ0प्र0।

### सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्री का सही नाम आयशा नाज पुत्री वसीम रजा है जो उसके शैक्षिक अभिलेखों में अंकित है। त्रुटिवश मेरी पुत्री के आधार कार्ड सं0—5026 7222 7419 में उसका नाम सिमनाज अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मेरी पुत्री को उसके सही नाम आयशा नाज पुत्री वसीम रजा के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतत् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई हैं।

वसीम रजा  
ग्राम—मीरपुर सरैया,  
मोतिगरपुर, सुल्तानपुर।

### सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम सूमेन्द्र कुमार पुत्र मंगला प्रसाद है जो कि मेरे सम्बन्धित अभिलेखों में निर्वाचन कार्ड व खतौनी व पारिवारिक सदस्यता एवं उप जिलाधिकारी सोरांव जांच रिपोर्ट में अंकित है। त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड सं0 9634 4858 9041 में मेरा नाम गुड्डू हो गया है जो गलत है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम सूमेन्द्र कुमार पुत्र मंगला प्रसाद के नाम से जाना व पहचाना जायें।

एतत् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई हैं।

सूमेन्द्र कुमार पुत्र मंगला प्रसाद,  
निवासी—गिरधरपुर गोड़वा,  
होलागढ़ सोरांव  
जनपद—प्रयागराज, उ0प्र0।

### सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्री का सही नाम अग्रिमा मालवीय पुत्री आशीष मालवीय है जो कि उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरी पुत्री के आधार कार्ड सं0—4543 0593 5787 में उसका नाम नित्या मालवीय अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मेरी पुत्री को उसके सही नाम अग्रिमा मालवीय पुत्री आशीष मालवीय के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतत् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई हैं।

आशीष मालवीय पुत्र के0 एल0 मालवीय  
निवासी—76/9, जूही लाल कालोनी,  
जूही कालोनी, कानपुर नगर (उ0प्र0)

### सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम तनूजा (Tanuja) पुत्री रमा शंकर है जो कि मेरे शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड

सं0-7458 4880 5676 में मेरा नाम तनीशा अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम तनूजा (Tanuja) पुत्री रमा शंकर पत्नी शिवम शिवाय प्रजापति के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतत् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

तनूजा पुत्री रमा शंकर  
पत्नी शिवम शिवाय प्रजापति  
निवासी-111ए/379 अशोक नगर  
आर0 के0 नगर, कानपुर नगर (उ0प्र0)

### सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्री का सही नाम अनन्या पुत्री चंद्रमा प्रसाद है जो कि उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरी पुत्री के आधार कार्ड सं0-3607 0358 0845 में उसका नाम आयुषी सिंह अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मेरी पुत्री को उसके सही नाम अनन्या पुत्री चंद्रमा प्रसाद के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतत् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

चंद्रमा प्रसाद पुत्र स्व0 छोटेला  
निवासी-ग्राम बौरीबोड़ा, पोस्ट बौरीबोड़ा,  
विकासखंड अभोली, तहसील भदोही  
जनपद-भदोही, उत्तर प्रदेश।

### सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्री का सही नाम अन्नबी खान पुत्री शहनवाज खान है जो कि उसके शैक्षिक अभिलेख, व आधार कार्ड में अंकित है। मैंने अपनी पुत्री का स्वास्थ्य ठीक न रहने के कारण अपने ज्योतिषाचार्य के अनुसार उसका नाम अन्नबी खान से बदल कर हुरैन फातिमा रख लिया है। भविष्य में मेरी पुत्री को हुरैन फातिमा पुत्री शहनवाज खान के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतत् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

दरक्षा परवीन पुत्री बासीद खान  
नि0-193बी (2) राम राय की सराय  
जाजमऊ, शिवांश टेनरी, कानपुर।

### सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम अनंत प्रकाश पुत्र प्रदीप कुमार कनौजिया है जो कि उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरे पुत्र के आधार कार्ड सं0-6934 7300 8786 में उसका नाम आनन्द कुमार अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मेरे पुत्र को उसके सही नाम अनंत प्रकाश पुत्र प्रदीप कुमार कनौजिया के नाम से जाना व पहचाना जायें।

प्रदीप कुमार कनौजिया  
पुत्र भिखारी राम  
पता-ग्राम-नौड़िहा, पोस्ट- नौड़िहा, रामगढ़  
थाना-कोन, जिला-सोनभद्र (उ0प्र0)।

### सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम अभिलेश मिश्रा पुत्र महेश मिश्रा है जो कि मेरे ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, जूनियर हाईस्कूल व उपजिलाधिकारी जांच आख्या संलग्न है। त्रुटिवश आधार कार्ड सं0-6008 0924 8232 में मेरा नाम कल्लू बबू मिश्रा अंकित हो गया है जो कि मेरा घरेलू नाम है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम के नाम अभिलेश मिश्रा पुत्र महेश मिश्रा से जाना व पहचाना जाये।

एतत् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

अभिलेश मिश्रा पुत्र महेश मिश्रा  
निवासी-दामोदरपुर मजरे पुरमई,  
फतेहपुर, उ0प्र0।

**सूचना**

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम सुशील कुमार निगम पुत्र राधेलाल निगम है जो कि शैक्षिक अभिलेख व निर्वाचन कार्ड में अंकित है। त्रुटिवश आधार कार्ड सं० 6287 4033 6327 में मेरा नाम हरी शंकर निगम अंकित हो गया है जोकि मेरा घरेलू नाम है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम सुशील कुमार निगम पुत्र राधेलाल निगम के नाम से जाना व पहचाना जायें।

एतत् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

सुशील कुमार निगम पुत्र राधेलाल निगम  
निवासी-106/202 लक्ष्मन पार्क  
गांधी नगर, कानपुर नगर।

**सूचना**

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम आशुतोष कुमार सोनी (ASHUTOSH KUMAR SONI) पुत्र पवन कुमार है, जो कि उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरे पुत्र के आधार कार्ड सं०-5558 2040 4983 में उसका नाम अंजनी अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मेरे पुत्र को उसके सही नाम आशुतोष कुमार सोनी पुत्र पवन कुमार के नाम से जाना व पहचाना जायें।

एतत् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

पवन कुमार  
ग्राम-बरांव पोस्ट मोहम्मदपुर  
जिला गोण्डा।

**सूचना**

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्री का सही नाम आरोही पुत्री प्रत्यूष शुक्ल है जो कि उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरी पुत्री के आधार कार्ड सं०-6750 8875 3717 में उसका नाम कु० वैष्णवी अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में

मेरी पुत्री को उसके सही नाम आरोही पुत्री प्रत्यूष शुक्ल के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतत् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

प्रत्यूष शुक्ल  
पता-मकान नं० 18, योजना 4-ए  
न्यू आजाद नगर, कानपुर नगर।

**सूचना**

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्री का सही नाम निकिता साहू पुत्री दिलीप कुमार है जो कि उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरी पुत्री के आधार कार्ड सं०-6242 2043 8001 में उसका नाम प्रतिष्ठा साहू अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मेरी पुत्री को उसके सही नाम निकिता साहू पुत्री दिलीप कुमार के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतत् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

दिलीप कुमार  
58ए न्यू आजाद नगर,  
सतबरी रोड, किदवई नगर  
कानपुर नगर, उ०प्र०।

**सूचना**

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र के आधार कार्ड सं०-9259 8386 1716 में उसका नाम त्रुटिवश रईस असजद (RAIS ASAJAD) अंकित हो गया है जबकि अन्य सभी शैक्षिक अभिलेखों में सही नाम मोहम्मद अलमास (MD. ALMAS) दर्ज है। भविष्य में मेरे पुत्र को उसके सही नाम मोहम्मद अलमास (MD. ALMAS) पुत्र रईस के नाम से जाना व पहचाना जायें।

रईस पुत्र शरीफ  
निवासी मिर्जापुर मुल्लाहपुर  
पोस्ट-नारीबेहड़, तहसील धौरहरा  
जिला-खीरी।

### सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम शनी (SHANI) पुत्र रामसेवक है जो कि मेरे शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड सं0 9911 6610 1883 में मेरा नाम सनी (SUNNY) हो गया है जोकि गलत है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम शनी (SHANI) पुत्र रामसेवक के नाम से जाना व पहचाना जायें।

एतत् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

शनी

पता—गुमस्टा, दुधवन,  
दुधवन, रायबरेली, उत्तर प्रदेश।

### सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम फुवाड बिन अहमद नियाज पुत्र अहमद बिन कासिम नियाज है जो कि उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरे पुत्र के आधार कार्ड सं0—3747 6645 6892 में उसका नाम फुवाड अहमद अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मेरे पुत्र को उसके सही नाम फुवाड बिन अहमद नियाज (Fuad Bin Ahmad Niaz) पुत्र अहमद बिन कासिम नियाज के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतत् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

अहमद बिन कासिम नियाज

पुत्र कासिम नियाज

निवासी—हुसैनपुर, अहमदपुर पावन  
प्रयागराज उ0प्र0।

### सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्री का सही नाम नित्या (NITYA) पुत्री रामकुमार है जो उसके शैक्षिक अभिलेखों में अंकित है। त्रुटिवश मेरी पुत्री

के आधार कार्ड सं0—6856 7990 7724 में उसका नाम निश्तिका (NISHTIKA) अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मेरी पुत्री को उसके सही नाम नित्या पुत्री रामकुमार के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतत् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

रामकुमार पुत्र बाबूनन्दन

निवासी—जखांव, पोस्ट गोपीगंज

जिला—संत रविदास नगर, भदोही

### सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा नाम भुवाई लाल पुत्र राम लखन है जो मेरे खतौनी परिवार रजिस्टर निर्वाचन कार्ड तथा उपजिलाधिकारी द्वारा जांच रिपोर्ट में अंकित है। त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड सं0 5312 8324 7974 में मेरा नाम भोलानाथ यादव अंकित हो गया है जोकि गलत है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम भुवाई लाल पुत्र राम लखन के नाम से जाना व पहचाना जायें।

एतत् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

भुवाई लाल पुत्र राम लखन

ग्राम—मुरार पट्टी पोस्ट छिबैयां

थाना—झूंसी तहसील फूलपुर

जिला—प्रयागराज, उ0प्र0

### सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम लल्लन चौहान (Lallan Chauhan) पुत्र कन्हैया चौहान है जो कि मेरे शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड सं0 9419 6790 4663 में मेरा नाम हर्ष चौहान अंकित हो गया है जोकि गलत है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम लल्लन चौहान (Lallan Chauhan) पुत्र कन्हैया चौहान के नाम से जाना व पहचाना जायें।

एतत् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई हैं।

लल्लन चौहान पुत्र कन्हैया चौहान  
निवासी—म० नं०—35 ग्राम—मदारपुर  
पोस्ट—मलिकपुरा, गाजीपुर, उ०प्र०

### सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम रीना देवी पत्नी शिव शंकर है जो मेरे राशन कार्ड, परिवार रजिस्टर व उपजिलाधिकारी द्वारा जांच रिपोर्ट में अंकित है। त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड सं० 3040 1514 7207 में मेरा नाम रानी देवी अंकित हो गया है जोकि गलत है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम रीना देवी पत्नी शिव शंकर के नाम से जाना व पहचाना जायें।

एतत् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई हैं।

रानी देवी पत्नी शिव शंकर

निवासी—ग्राम—महेरा परगना व

तहसील—भोगनीपुर, जनपद कानपुर देहात

### सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम अनिरुद्ध सेठ पुत्र किशन सेठ है जो कि उसके जन्म प्रमाण पत्र अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरे पुत्र के आधार कार्ड सं०—8370 2359 0498 में उसका नाम कुबेर सेठ अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मेरे पुत्र को उसके सही नाम अनिरुद्ध सेठ पुत्र किशन सेठ के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतत् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई हैं।

श्रद्धा सोनी पत्नी किशन सेठ

नि०—विश्वनाथ भवन आलमगंज

पोस्ट—सदर जौनपुर, उत्तर प्रदेश।

### सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम बाबुल नाथ तिवारी (Babul Nath Tiwari) पुत्र लाल जी तिवारी है जो मेरे मेरे आधार कार्ड, पैन कार्ड व शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरे ग्लोबल कैपिटल मार्केट लि० (IN 300966) के क्लाइंट आई०डी० सं०—10754042 में मेरा नाम बाबुल नाथ (Babul Nath) अंकित हो गया है जोकि गलत है।

एतत् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई हैं।

बाबुल नाथ तिवारी

पुत्र लाल जी तिवारी

निवासी—नगौली, चैनपुर

जौनपुर, उ०प्र०।

### NOTICE

It is hereby informed to the public that my daughter's correct name is Hemlata daughter of Madan, which is mentioned correctly in her Educational documents. However, in her Aadhaar Card No. 6486 6115 2018, Her name has been wrongly written as Himanshi. This is incorrect. Therefore, my daughter should be known and recognized only by her correct name Hemlata daughter of Madan. Through this notice, it is also certified that all necessary legal formalities related to the above matter have been duly completed.

Madan S/o Munna

R/o. Mahaveer Nagar,

Charkhari Mahoba U.P.

### सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म M/s LOVE INDIA DEVELOPERS, 132/432, Babu Purwa, Kanpur का साझीदार हूँ। फर्म का पंजीयन दिनांक 24.03.2017 को पंजीकरण सं० K-12057 पर हुआ था। फर्म की भागीदारी डीड दिनांक

12.11.2025 के अनुसार साझीदार मोहम्मद कैसर स्व-इच्छा से पृथक हो गये हैं तथा फर्म का पता 131/141-A, Begum Purwa, Kanpur Nagar-208023 कर दिया गया है। अब फर्म में मोहम्मद शाहिद खान, मोहम्मद निशात मलिक साझीदार है।

मोहम्मद शाहिद खान  
पार्टनर।

### सूचना

सर्वसाधारण को सूचित करना है कि M/s Shree International, Khasra No. 364, Village-Gezha, Mohiuddinpur, Meerut City-250002, की साझीदारी में श्री रोहित कंसल एवं श्रीमती दिव्या कंसल है एवं संशोधित साझीदारीनामा दिनांक 03 अक्टूबर, 2025 के अनुसार फर्म Shree International से परिवर्तित कर M/s Shree International Bovine Genetics किया गया है।

एतत् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

रोहित कंसल

साझीदार

M/s Shree International Bovine Genetics

Khasra No. 364, Village Gezha,

Mohiuddinpur, Meerut City.

### सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म M/s KANODIA AUTO CENTRE, 73/24 Collectorganj, Kanpur Nagar-208001 जिसका पंजीकरण दिनांक 21.04.2022 को पंजीकरण सं0 KAP/0002941 पर कराया गया था। भागीदारी डीड दिनांक 19.11.2025 के अनुसार साझीदार सुमेधा कनोडिया व चौदनी कनोडिया दिनांक 28.08.2025 से पृथक हो गयी हैं जिस कारण से फर्म को विघटित कर दिया गया है।

सुरेश कुमार कनोडिया  
पार्टनर।

### सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेसर्स मैटल एक्सपोर्ट्स इंडिया, पता-निकट पी0सी0एफ0 खाद गोदाम, विजय नगर, रामपुर रोड, जिला मुरादाबाद, यू0पी0 नामक फर्म में दिनांक 01.11.2025 को मुदित गोयल पुत्र स्व0 पी0एल0 गोयल निवासी ए 55, लाजपत नगर, जिला मुरादाबाद रिटायर हो गये हैं तथा रिटायर्ड पार्टनर की उक्त फर्म पर कोई देनदारी व लेनदारी बकाया नहीं है तथा अब वर्तमान में दो पार्टनर श्रीमती सुधा गोयल व श्री सुगंध गोयल रह गये हैं।

श्रीमती सुधा गोयल

पार्टनर

मेसर्स मैटल एक्सपोर्ट्स इंडिया,  
पता-निकट पी0सी0एफ0 खाद  
गोदाम, विजय नगर, रामपुर रोड,  
जिला मुरादाबाद, यू0पी0।

### सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्री का सही नाम रिशु सिंह (Rishu Singh) पुत्री राम लखन सिंह है जो उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरी पुत्री के आधार कार्ड सं0-8833 3285 4588 में उसका नाम रिसब (Risab) अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मेरी पुत्री को उसके सही नाम रिशु सिंह (Rishu Singh) पुत्री राम लखन सिंह के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतत् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

राम लखन सिंह पुत्र स्व0 राम नारायण सिंह  
पता-3ए/39 विशाल खण्ड गोमती नगर लखनऊ

### सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मेसर्स आकाश किसान सेवा केन्द्र मंगरौरा, प्रतापगढ़ दिनांक 04.04.2022 को प्रारम्भ की गयी थी। फर्म में प्रथम पार्टनर श्री अरविन्द कुमार पाठक पुत्र श्री राम दुलार

पाठक निवासी ग्राम सरसी खाम, नीयर प्राथमिक विद्यालय सरसी खाम, जिला प्रतापगढ़ तथा द्वितीय पार्टनर श्री अखिलेश सिंह पुत्र श्री लाल साहब सिंह निवासी ग्राम मंगरौरा, पोस्ट दरछुट, प्रतापगढ़ थे। वर्तमान में भागीदारों की आपसी सहमति से दिनांक 18.11.2025 को फर्म विघटित कर दी गई हैं। फर्म में किसी भी व्यक्ति की किसी भी प्रकार की लेनदारी व देनदारी नहीं है एवं फर्म द्वारा किसी प्रकार का शासकीय भुगतान एवं अन्य भुगतान शेष नहीं है। उक्त फर्म के साझीदारों को उक्त फर्म के विघटन से कोई आपत्ति नहीं है।

अरविन्द कुमार पाठक

साझीदार

मेसर्स आकाश किसान सेवा केन्द्र  
मंगरौरा, प्रतापगढ़।

### सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेसर्स यू0पी0 डेवलपर्स एण्ड कान्स्ट्रक्शन्स रामनगर, मन्धना, कानपुर नगर-208017 का साझीदार हूँ। फर्म का पंजीयन रजि0 सं0 K-10621 पर दिनांक 09.10.2017 में हुआ था। फर्म की भागीदारी में दिनांक 02.05.2017 के अनुसार श्रीमती रीता बाजपेयी, श्री अजय मिश्र साझीदार थे। भागीदारी डीड दिनांक 10.11.2025 के अनुसार साझीदारी में श्री सत्य प्रकाश को शामिल किया गया है तथा साझीदार श्रीमती रीता बाजपेयी स्व-इच्छा से पृथक हो गयी हैं, अब फर्म में श्री अजय मिश्रा व श्री सत्य प्रकाश साझीदार है। फर्म का पता परिवर्तित कर फतेहपुर चौरासी, उन्नाव कर दिया गया है।

अजय मिश्रा

पार्टनर।

### सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मेसर्स मलिक मोटर्स 133/241 ट्रान्सपोर्ट नगर, कानपुर नगर का पंजीयन दिनांक 30.03.2013 पत्रावली सं0 के-10448 पर पंजीकृत है। फर्म की भागीदारी डीड दिनांक 02.03.2013 के अनुसार Subhash Chandra katyal & Chetan Katyal साझीदार थे। पूर्व साझीदार

Subhash Chandra katyal का देहान्त दिनांक 11.10.2018 में हो गया है। संशोधित भागीदारी डीड दिनांक 01.10.2023 के अनुसार श्रीमती रीतिका कात्याल को शामिल कर लिया गया है वर्तमान में चेतन कात्याल व श्रीमती रीतिका कात्याल साझीदार है।

चेतन कात्याल

साझीदार।

### सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम सर्वेश कुमार पुत्र रामसनेही है जो मेरे निर्वाचन कार्ड एवं खतौनी में अंकित है एवं उपजिलाधिकारी जांच आख्या संलग्न है। त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड सं0 5472 5256 4045 में मेरा नाम विजय अंकित हो गया है जोकि मेरा घरेलू नाम है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम सर्वेश कुमार पुत्र रामसनेही के नाम से जाना व पहचाना जायें।

एतत् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

सर्वेश कुमार पुत्र रामसनेही

निवासी 133/30 जूही नहरिया

रत्तुपुरवा अनवरगंज, कानपुर नगर।

### सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम श्यामा पत्नी स्व0 अशर्फी लाल है जो मेरे निर्वाचन कार्ड एवं खतौनी एवं ग्राम प्रधान पंचायत पत्र में अंकित है एवं उपजिलाधिकारी जांच आख्या संलग्न है। त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड सं0 7774 7555 8791 में मेरा नाम निम्न अंकित हो गया है जोकि मेरा घरेलू नाम है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम श्यामा पत्नी स्व0 अशर्फी लाल के नाम से जाना व पहचाना जायें।

एतत् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

श्यामा पत्नी स्व0 अशर्फी लाल निवासी-42

महाराज नगर, दिलीप नगर,

बिल्हौर, कानपुर नगर-209204

### सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम ममता तिवारी पत्नी श्री प्रकाश तिवारी है जो मेरे बैंक पासबुक, आधार कार्ड व पैन कार्ड में अंकित है एवं उपजिलाधिकारी जांच आख्या संलग्न है। त्रुटिवश एल०आई०सी० पॉलिसी सं० 237983906, 233535975 में मेरा नाम अल्कारानी तिवारी अंकित हो गया है जोकि मेरा घरेलू नाम है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम ममता तिवारी पत्नी श्री प्रकाश तिवारी के नाम से जाना व पहचाना जायें।

एतत् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

ममता तिवारी पत्नी श्री प्रकाश तिवारी  
निवासिनी-196 ई०डब्लू०एस० वाई  
ब्लाक डबल कालोनी बर्मा-2, कानपुर नगर

### सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम वैष्णवी गुप्ता पुत्री स्व० संजय गुप्ता है जो मेरे आधार कार्ड व पैन कार्ड, बैंक पासबुक एवं शैक्षिक अभिलेख में अंकित है त्रुटिवश एल०आई०सी० पॉलिसी सं० 231117423, में मेरा नाम यशी गुप्ता अंकित हो गया है जोकि मेरा घरेलू नाम है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम

वैष्णवी गुप्ता पुत्री स्व० संजय गुप्ता के नाम से जाना व पहचाना जायें।

एतत् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

वैष्णवी गुप्ता पुत्री स्व० संजय गुप्ता  
निवासिनी-86/91 रायपुरवा  
अनवरगंज, कानपुर नगर-208003

### सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम प्रगति सोनकर पुत्री बाबूराम सोनकर है जो मेरे आधार कार्ड व पैन कार्ड एवं शैक्षिक अभिलेख में अंकित है त्रुटिवश एल०आई०सी० पॉलिसी सं० 233172173, में मेरा नाम मुस्कान अंकित हो गया है जोकि मेरा घरेलू नाम है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम प्रगति सोनकर पुत्री बाबूराम सोनकर के नाम से जाना व पहचाना जायें।

एतत् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

प्रगति सोनकर पुत्री बाबूराम सोनकर  
निवासिनी-पंचखुरा घाटमपुर,  
कानपुर नगर, उ०प्र०।